NAAC Grade 'A'
NIRF Rank 35 (वर्ष 2022)

सूचना विवरणिका

2022 - 2023

दयाल सिंह कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय

लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

कॉलेज के बारे में.....

दयाल सिंह कॉलेज की उत्पत्ति दैनिक अख़बार 'द ट्रिब्यून', पंजाब यूनिवर्सिटी और 'पंजाब नेशनल बैंक' के संस्थापक, सरदार दयाल सिंह मजीठिया की दूरदर्शिता के कारण हुई है| उन्होंने 1895 में एक धर्मनिरपेक्ष कॉलेज बनाने के प्रस्ताव दिया और एक शैक्षणिक ट्रस्ट निर्माण के लिए अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी। उनके प्रयास से दयाल सिंह कॉलेज 1910 में लाहौर में स्थापित किया गया था। भारत के विभाजन के बाद यह कॉलेज पहले करनाल और 1952 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसे 1959 में राजधानी दिल्ली के राउज़ एवेन्यू में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया| वर्तमान स्थान पर यह 16.10.1962 से कार्यरत है। 1963-1967 से यह दो पालियों (सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक) कार्य करना शुरू किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे 1978 में इसे एक विश्वविद्यालय अनुरक्षित संस्थान के रूप में ग्रहण किया।

NIRF (MHRD) 2017 - 8th Rank (All India)
NIRF (MHRD) 2018 - 25th Rank (All India)
NIRF (MHRD) 2019 - 20th Rank (All India)
NIRF (MHRD) 2020 - 21st Rank (All India)
NIRF (Ministry of Education Government of India) 2021 – 29th Rank (All India)
NIRF (Ministry of Education Government of India) 2021 - 35th Rank (All India)

Ministry of Education
Government of India

Certificate

NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK

INDIA RANKINGS 2022

Dyal Singh College, New Delhi
Ranked 35 in College Category

CHAIRMAN, NBA

MEMBER SECRETARY, NBA

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रमाणित
NAAC Grade "A" CGPA (3.15)-2022

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Dyal Singh College
New Delhi, a Constituent College of University of Delhi, Delhi as
Accredited
with CGPA of 3.01 on seven point scale
at A grade
valid up to March 27, 2022

Date : March 28, 2017

Director

EC(SC)/23/A&A/70.1

प्राचार्य की क़लम से.....

कॉलेज अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देता रहा है। आज दयाल सिंह कॉलेज कला, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, कंप्यूटर और विज्ञान पाठ्यक्रमों की सुविधाओं के माध्यम से विदेशी छात्रों सहित 6000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है।

कॉलेज के पास अपने छात्रों और संकाय सदस्यों की शैक्षणिक और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है। इनमें एक लाख से अधिक पुस्तकों और विभिन्न ई-संसाधनों के लिंक के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय शामिल है। विज्ञान विभागों में शिक्षण और अनुसंधान दोनों गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित (सुव्यवस्थित) प्रयोगशालाएँ हैं। कंप्यूटर विभाग ने कंप्यूटर सुविधाओं को भी अत्याधुनिक किया है।

कॉलेज शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए काम करता है। हमारा उद्देश्य आज के युवाओं को कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के योग्य बनाना कॉलेज का लक्ष्य रहा है। हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सेल इन बातों का ध्यान रखता है। खेल व्यक्तित्व विकास के स्तंभों में से एक रहा है। हमारे कॉलेज ने अपने कठोर शैक्षणिक मानकों के साथ, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों की एक जीवंत परंपरा को बनाए रखा है। हमारे छात्र खेल, रंगमंच, वाद-विवाद, संगीत, फोटोग्राफी और ललित कला के क्षेत्र में सक्रियता के साथ अपने शैक्षणिक जीवन को पूरा करते हैं। कॉलेज द्वारा कई शैक्षणिक और सह पाठयक्रम के आदान प्रदान को आसान बनाने हेतु ऑडिटोरियम, एम्फीथिएटर और सेमिनार रूम को नवीनतम साउंड और प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है|

मैं भाग्यशाली हूं कि मैं युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और कॉलेज में शामिल होने वाले छात्रों की यात्रा को यादगार बनाने की स्थिति में हूं। आइए हम सब मिलकर सीखने की प्रक्रिया को और भी रोमांचक बनाने के लिए अपने विचारों, सपनों और विजन को साझा करें। मैं कॉलेज में शामिल होने वाले छात्रों की सफलता और दयाल सिंह कॉलेज में सुखद प्रवास की कामना करता हूं| हमारे विजन और मिशन के लिए https://www.dsc.du.ac.in/about-us/vision-mission पर जाएं

शुभकामनाएं!

प्रो. वी. के. पालीवाल
प्राचार्य

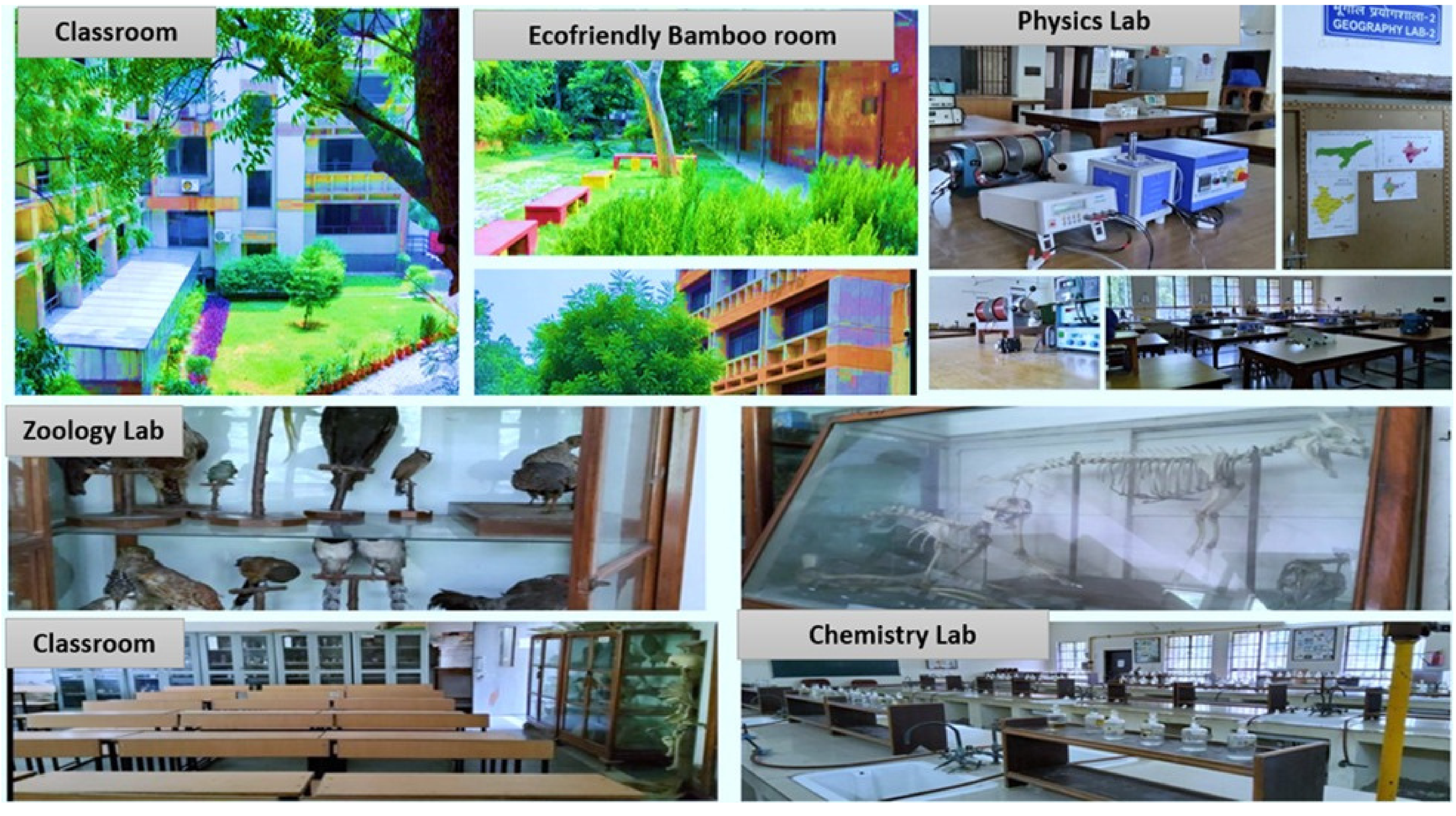

चित्र: प्रकृति की गोद में कक्षाएँ, अच्छी तरह से सुसज्जित जूलॉजी और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला

अच्छी तरह से सुसज्जित भौतिकी और भूगोल प्रयोगशाला

चित्र: कंप्यूटर संसाधन केंद्र, सभागार, संगोष्ठी हॉल

अंतर्वस्तु

महत्वपूर्ण सूचना | **01**
संपर्क व्यक्ति | **01**
विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डीलिंग सहायक | **02**
समितियां | **02**
फैकल्टी प्रोफाइल | **04**
कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएं | **11**
पुरस्कार | **14**
स्नातक कार्यक्रम -2022 में पंजीकरण और प्रवेश | **15**
सामान्य दिशानिर्देश: दिल्ली विश्वविद्यालय | **15**
लघुरूप | **31**
अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (UGCF)-2022 | **33**
आरक्षण और छूट नीतियां | **36**
आचार संहिता | **44**
अध्यादेश | **45**
खेल और ईसीए कोटा प्रवेश सीटें | **54**
अंतिम कट ऑफ प्रतिशत 2021-2022 | **59**
अंतिम कट ऑफ प्रतिशत 2021-2022 | **62**

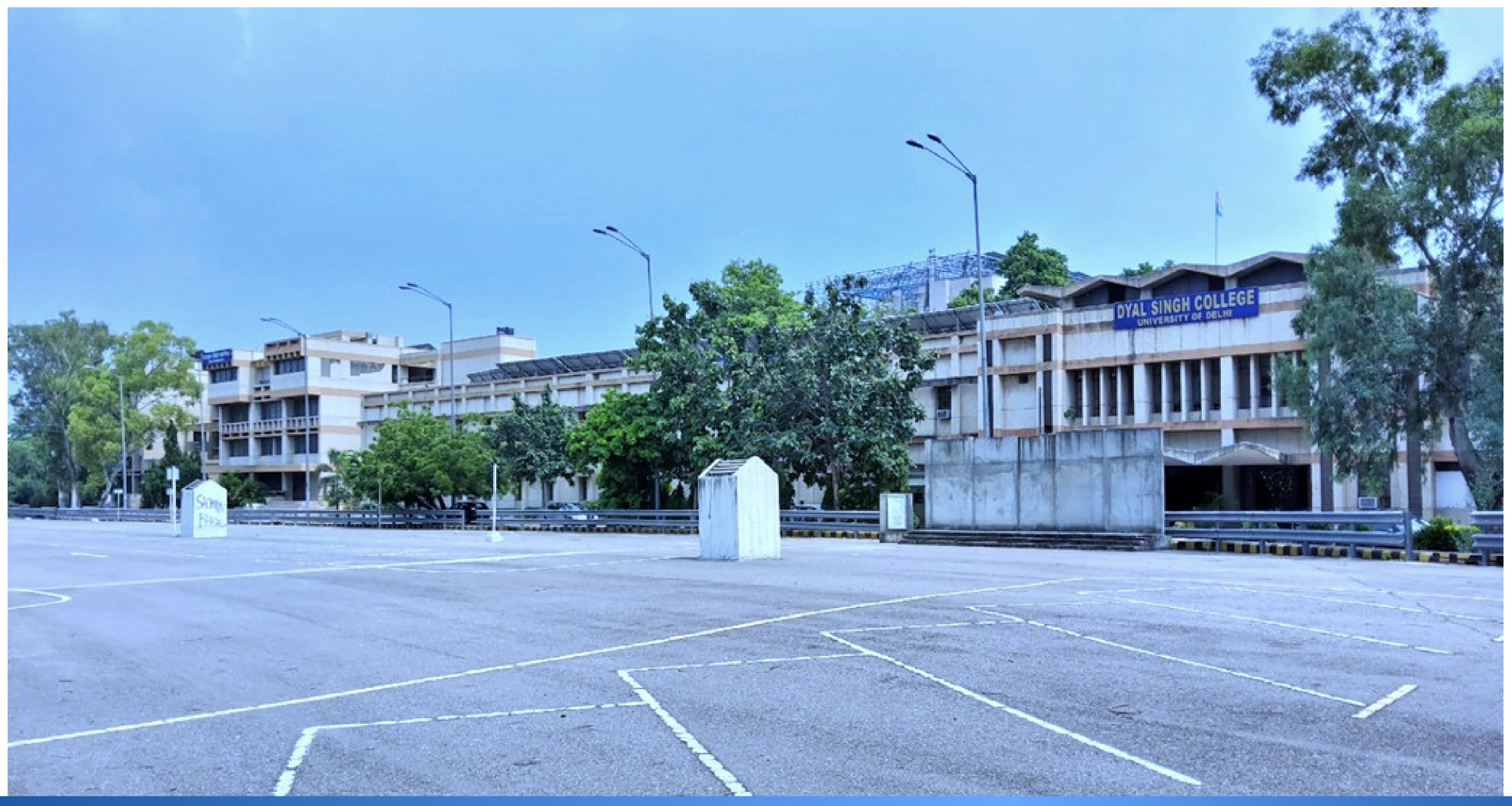

महत्वपूर्ण सूचना

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी, प्रवेश प्रपत्र और अन्य दस्तावेज मौजूदा नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। भविष्य में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी और वर्तमान विवरणिका का स्थान लेगा। सभी प्रवेश अकादमिक/श्रेणी/अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी/विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अधीन अनंतिम होंगे। कॉलेज/विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कॉलेज इस जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है, जो अनजाने में हुई चूक, लिपिकीय त्रुटियों या किसी अन्य कारण से हो सकता है।

कॉलेज बिना किसी पूर्व सूचना के बुलेटिन के किसी भी भाग को उपयुक्त रूप से संशोधित करने, अद्यतन करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

संपर्क करें

	Name	Phone No.	Email ID
लोक सुचना अधिकारी	डॉ. प्रियाव्रत आर्य	9625015540	aryapv@dsc.du.ac.in
नोडल अधिकारी (प्रवेश)	डॉ वंदना	9811741104	vandana.chemistry@dsc.du.ac.in
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)	श्री आर.के. स्वशांति	9810804758	rameshks.ao@dsc.du.ac.in
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)	श्री ए.के. सोनी	9857160954	arvindksoni@dsc.du.ac.in
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)	श्री वीरेंद्र सिंह	8860877323	virendersingh@dsc.du.ac.in
अनुभाग अधिकारी (लेखा)	श्री संजय शर्मा	9013353217	sanjayksharma@dsc.du.ac.in

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सहायक

श्री दीपक :

बी.एससी. (ऑनर्स): फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कॉम्प। अनुसूचित जाति।; बीएससी शारीरिक विज्ञान

ईमेल: deepak2@dsc.du.ac.in

सुंश्री राधाः

बी कॉम (ऑनर्स); बी० ए० (ऑनर्स) अंग्रेजी

ईमेल: radha@dsc.du.ac.in

सुश्री रूपा :

बी.ए. (ऑनर्स): भूगोल, अर्थशास्त्र, उर्दू, पंजाबी, दर्शनशास्त्र; बीएससी (ऑनर्स) गणित, बी.एससी. जीवन विज्ञान

ईमेल: rupa1@dsc.du.ac.in

श्री पंकज :

बी.ए., बी.ए. (ऑनर्स): इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत

ईमेल: pankaj1@dsc.du.ac.in

समितियां

शिकायत निवारण समिति

प्रो. वी. के. पालीवाल (अध्यक्ष)
डॉ. सुजीत ठाकुर (सदस्य)
डॉ. नीरू भंडारी (सदस्य)
डॉ. विजय वर्मा (संयोजक)
डॉ. अनुराग पांडे (सदस्य)
डॉ. महाश्रद्धा यादव (सदस्य)

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

डॉ साधना गुप्ता (पीठ अधिकारी)
सुश्री वेधा चोपड़ा (मनोवैज्ञानिक, बाहरी सदस्य)
प्रो. नवनीत मानव (शिक्षक)
डॉ. मनोज कुमार (शिक्षक)
श्री नरेंद्र सिंह पठानिया (गैर-शिक्षण)
सुश्री सुप्रिया मुखर्जी (गैर-शिक्षण)
तारिषी कत्याल - बी.एससी. (ऑनर्स) जूलॉजी - छात्र सदस्य
आदित्य भारद्वाज - बी.एससी. (भौतिक विज्ञान) रसायन विज्ञान के साथ - छात्र सदस्य
नितिन गुर्जर - बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास - छात्र सदस्य

रैगिंग विरोधी समिति

डॉ सलोनी गुलाटी (संयोजक)
डॉ. राजकुमार ; डॉ. रोमा कात्याल ; डॉ. पी.के. पांडे
डॉ. उमा शंकर ; डॉ यश पाल ; डॉ विशाल मौर्य

विशेष श्रेणियाँ प्रवेश सक्षम समिति

डॉ. विराज काफले (संयोजक)
डॉ निखिल जैन
सुश्री पेमा योमलो
डॉ केदार कुमार मंडल

धूम्रपान मुक्त परिसर समिति

डॉ राजेश अभय (संयोजक)
डॉ. सैयद ज़हीन आलम,
प्रो. जसलीन कौर

प्रवेश सहायता डेस्क

डॉ बी बी सिंह (संयोजक)
डॉ. निहाल
श्री बिलास रंजन
सुश्री प्रियंका यादव
डॉ. सौम्या

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

1. प्रो. वी.के.पालीवाल	अध्यक्ष
2. प्रो. अलका गुप्ता	निदेशक
3. प्रो. हेमा बनती	सदस्य
4. श्री केशव कुमार सैनी	सदस्य
5. प्रो जसलीन कौर कालिया	सदस्य
6. श्री शीश पाल	सदस्य
7. डॉ. नीतू भट्टाचार्य	सदस्य
8. डॉ. निशांत कुमार	सदस्य
9. डॉ राजेश कुमार अभय	सदस्य
10. डॉ ज्योति पॉल	सदस्य
11. डॉ. विनोद, पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
12. श्री रमेश ए.ओ.	सदस्य

गैर-शिक्षण कर्मचारी

1. श्री इकबाल सिंह	सचिवीय सहाय
2. सुश्री प्रीति डबास	तकनीकी सहायक

कॉलेज संपर्क नंबर

011-24367819, 011-24365948
फैक्स: 011-24365606
ई-मेल : principal@dsc.du.ac.in
वेबसाइट: http://dsc.du.ac.in

किसी शिकायत के निवारण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जाएं।
कॉलेज स्मोक, ड्रग और प्लास्टिक फ्री जोन है।

फैकल्टी प्रोफाइल

	विभाग और संकाय	योग्यता	पद
1	**विनोद कुमार पालीवाल**	**एमएससी, पीएच.डी.**	**प्रो. और प्राचार्य**
	कला		
	अंग्रेज़ी		
1	माधवी भल्ला	एम.फिल.	सह - आचार्य
2	कोकिला सहगल	एम.ए., पीएच.डी.	सह - आचार्य
3	पेमा योलमो	एम.ए., एम.फिल.	सह - आचार्य
4	सचिन एन	एम.ए., एम.फिल.	सह - आचार्य
5	आयशा इरफान,	एम.ए., एम. फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	अंशुमन सिंह	एम.ए., एम.फिल.	सह - आचार्य
7	शाइस्ता आमिर खान	एम.ए., एम.फिल.	सह - आचार्य
8	सिमरन चड्ढा	एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सह - आचार्य
9	सुरेश पी.	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
10	विराज काफले	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
11	मेरेलीन लिंगदोह वाई.ब्लाह	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
12	मौमिता सरकार	एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
13	शिवरंजनी सिंह	एम.ए. पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
14	यश पाल सिंह	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
15	दिनेश पंवार	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
16	यामिनी	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर

17	अलका शर्मा	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
18	हिमांशु शर्मा	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
19	उमा	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
	हिन्दी		
1	समीक्षा ठाकुर	एम.ए., पीएच.डी.	सह - आचार्य
2	विजय पाल सिंह	एम.ए., पीएच.डी.	सह - आचार्य
3	राजीव कुमार कुंवर	एम.ए., पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	पप्पू राम मीना	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	केदार कुमार मंडल	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	प्रेम कुमार तिवारी	एम.ए., पीएच.डी.	सह - आचार्य
7	सुनील कुमार मंडीवाल	एम.ए., पीएच.डी.	सह - आचार्य
8	मधुलिका	एमए, एम.फिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
9	रमाशंकर कुशवाहा	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
10	चित्तरंजन कुमार	एम.ए., पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
11	ज्ञानेंद्र कुमार	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
12	राजेश कुमार राव	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
13	जैनेंद्र कुमार	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
14	राजेश कुमार पांडेय	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
15	जयपाल सिंह	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
16	अभय कुमार	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
	दर्शन		
1	सीमा बोस (टीआईसी)	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य

पंजाबी

1	रविंदर सिंह	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
2	कमलजीत सिंह (टीआईसी)	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सहेयक प्रोफेसर

अर्थशास्त्र

1	संध्या वार्ष्णेय (टीआईसी)	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सह - आचार्य
2	रश्मि मित्तल	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
3	वंदना तुलस्यान	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
4	संजय कुमार	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
5	लेफ्टिनेंट रुचि गुप्ता	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	बिबेक कुमार रजक	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सह - आचार्य

भूगोल

1	विनीता माथुर	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
2	हरलीन कौर डाबेर	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सह - आचार्य
3	दीक्षा वाजपेयी	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	अंजना माथुर जगमोहन	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	सैयद ज़हीन आलम (टीआईसी)	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	स्वाति ठाकुर	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
7	दीप नारायण पांडे	एम.ए., एम.फिल	सहायक प्रोफेसर
8	श्वेता रानी	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
9	राजेश कु. अभय	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर

इतिहास

1	डी मंजीत	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
2	पूजा विज	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
3	आर.के. सिन्हा	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
4	शांतनु कुमार दास	एम.ए., एम.फिल	सह - आचार्य
5	अमरजीत प्रसाद सिंह	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	नरोत्तम विनीत	एम.ए., एम.फिल	सहायक प्रोफेसर
7	उमा शंकर सिंह	एमए, एलएलबी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
8	अपराजिता भट्टाचार्य	एम.ए., एम.फिल	सहायक प्रोफेसर
9	जया ज्योतिका	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सहायक प्रोफेसर
10	हरि नारायण साहू	एम.ए.	सहायक प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान

1	राज कुमार	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सह - आचार्य
2	निखिल जैन	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी	सह - आचार्य
3	निशांत कुमार	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	विजय कुमार वर्मा	एम.ए., एम.फिल, पीएच.डी., एलएलबी	सह - आचार्य
5	कमल नयन चौबे	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	दीपक लाल कुजुर	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
7	मनोज कुमार	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
8	विवेक रत्न	एमए, एमफिल	सहायक प्रोफेसर

9	प्रकाश कुमार पटेल	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
10	सुजीत ठाकुर	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
11	सुनील कुमार (टीआईसी)	एमए, एमफिल	सहायक प्रोफेसर
12	सुधीर कुमार सिंह	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
13	करुणाकर पत्र	एम.ए., एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
	बाणिज्य		
1	संगीता पोरवाल	एम.कॉम, एमफिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
2	मीनाक्षी	एम.कॉम, एमफिल, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
3	अंकिता गुप्ता (टीआईसी)	एम.कॉम	सह - आचार्य
4	रीता नागपाल	एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	ममता चौधरी	एम.कॉम	सह - आचार्य
6	ज्योत्सना खेतान	एम.कॉम	सह - आचार्य
7	संदीप गर्ग	एम.कॉम, एमपी.हिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
8	शीश पाल	एमबीए, सीएस (कार्यकारी)	सह - आचार्य
9	सूरज भान	एम.कॉम, एम.फिल	सह - आचार्य
10	मधु सहरावत	एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
11	शालिनी अग्रवाल	एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
12	सोनिया ठक्कर विज	एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य

13	नीता त्रिपाठी	एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
14	कनिका बजाज	एम.कॉम, एम.फिल	सह - आचार्य
15	ज्योति पॉल	एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
16	आर. तिरुमूर्ति	एम.कॉम, एम.फिल पीजीडीसीए पीएच.डी	सह - आचार्य

गणितीय विज्ञान

गणित

1	ईश्वर रानी मनचंदा (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी	सह - आचार्य
2	अरुण पाल सिंह	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
3	राजीव कुमार	एमएससी एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	पी के पाण्डेय	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	दिनेश कुमार	एमएससी, एमफिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य

कंप्यूटर विज्ञान

1	अनीता गोयल	एम.सीए, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
2	हेमा बनती (टीआईसी)	एम.सीए, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर

विज्ञान

वनस्पति विज्ञान

1	पूनम मेहता	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
2	नीरू भंडारी	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
3	पी. चित्रलेखा	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	सलोनी गुलाटी	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	रोमा कात्याल	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	अनीता रानी (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
7	जसलीन कौर कालिया	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर

रसायन विज्ञान

1	ए.के. भागी	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
2	के.पी. सिंह (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
3	एमपी. सिंह	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	स्वरिता गोपाल	एमएससी, एम.टेक, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	अरुणा चिकारा	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
6	अमित कुमार	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
7	मनीष गौतम	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
8	अलका गुप्ता	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
9	वंदना	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
10	नवनीत मानव	एम.फिल, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर

11	अनिल कुमार नैन	एमएससी, पीएच.डी., डीएससी	प्रोफ़ेसर
12	कलावती मीना	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी	सह - आचार्य
13	कल्प मंडल	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
14	केशव कुमार सैनी	एमएससी, एमफिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
15	अमिता मलिक	एमएससी	प्रोफेसर
16	अमित दुआ	एमएससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
17	चारु चंद्र	एमएससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
18	बी बी सिंह	एमएससी, एमफिल, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
19	इंद्र राज कुमावती	एमएससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
20	देवराज	एमएससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
	भौतिक विज्ञान		
1	रेणु गुलियानी	एमएससी, एम.फिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य
2	विनोद कुमार पालीवाल	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
3	नवीना मेहन	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	नवीन गौर	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	इंद्र सेन राम (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
6	जगजीवन राम बलाइ	एमएससी, पीएच.डी	सह - आचार्य
	जीव विज्ञान		
1	रीता राठ	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
2	नीरजा सूद	एमएससी, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
3	साधना गुप्ता (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
4	संजीव मुलिक	एमएससी, पीएच.डी.	सह - आचार्य
5	नीतू भट्टाचार्य	एमएससी, एमफिल, पीएच.डी.	सह - आचार्य

6	पी.वी. आर्य	एमएससी, एमफिल, पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
7	वत्सला त्रिपाठी	एमएससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
8	रितु राय	एमएससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर
	शारीरिक शिक्षा		
1	संदीप मेहता (टीआईसी)	एम.पी.एड	सह - आचार्य

पुस्तकालय अध्यक्ष

1	विनोद कुमार	एम.लिब एससी, एम.फिल, पीएच.डी.	पुस्तकालय अध्यक्ष

एनसीसी (आर्मी विंग) लड़के	लेफ्टिनेंट केशव कुमार सैनी, एएनओ
एनसीसी (नौसेना विंग)	सब लेफ्टिनेंट डॉ हिमांशु शर्मा
एनसीसी (आर्मी विंग) (लड़कियां)	लेफ्टिनेंट डॉ रुचि गुप्ता, एएनओ
एनएसएस	डॉ ज्योति पॉल
नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फोरम	प्रो. नवनीत मानव
एनआईआई विज्ञान सेतु कार्यक्रम	डॉ. पी. चित्रलेखा
जम्मू और कश्मीर छात्र प्रकोष्ठ	डॉ हिमांशु शर्मा
प्लेसमेंट सेल	डॉ. नीतू भट्टाचार्य
विदेशी छात्र प्रकोष्ठ	डॉ. सुधीर सिंह
संपर्क अधिकारी	संपर्क अधिकारी
पीडब्ल्यूडी, एससी / एसटी	डॉ मनीष गौतम
अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ इंद्रराज कुमावती
ईडब्ल्यूएस	डॉ. थिरुमूर्ति आर .
विवरणिका समिति	डॉ ज्ञानेंद्र कुमार (समिति संयोजक और संयोजक- हिंदी संस्करण) डॉ राजेश कुमार पांडे (सदस्य) प्रो. नीता त्रिपाठी (संयोजक- अंग्रेजी संस्करण) डॉ. सैयद ज़हीन आलम (सदस्य)

कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएं

वर्तमान कॉलेज परिसर दक्षिण दिल्ली में लोधी रोड पर लोधी गार्डन, जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई अन्य संस्थानों के आसपास स्थित है। यह दिल्ली मेट्रो से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें 11 एकड़ से अधिक का क्षेत्र शामिल है। इसे लुटियन की दिल्ली के निर्माता सरदार बहादुर सर शोभा सिंह ने बनवाया था।

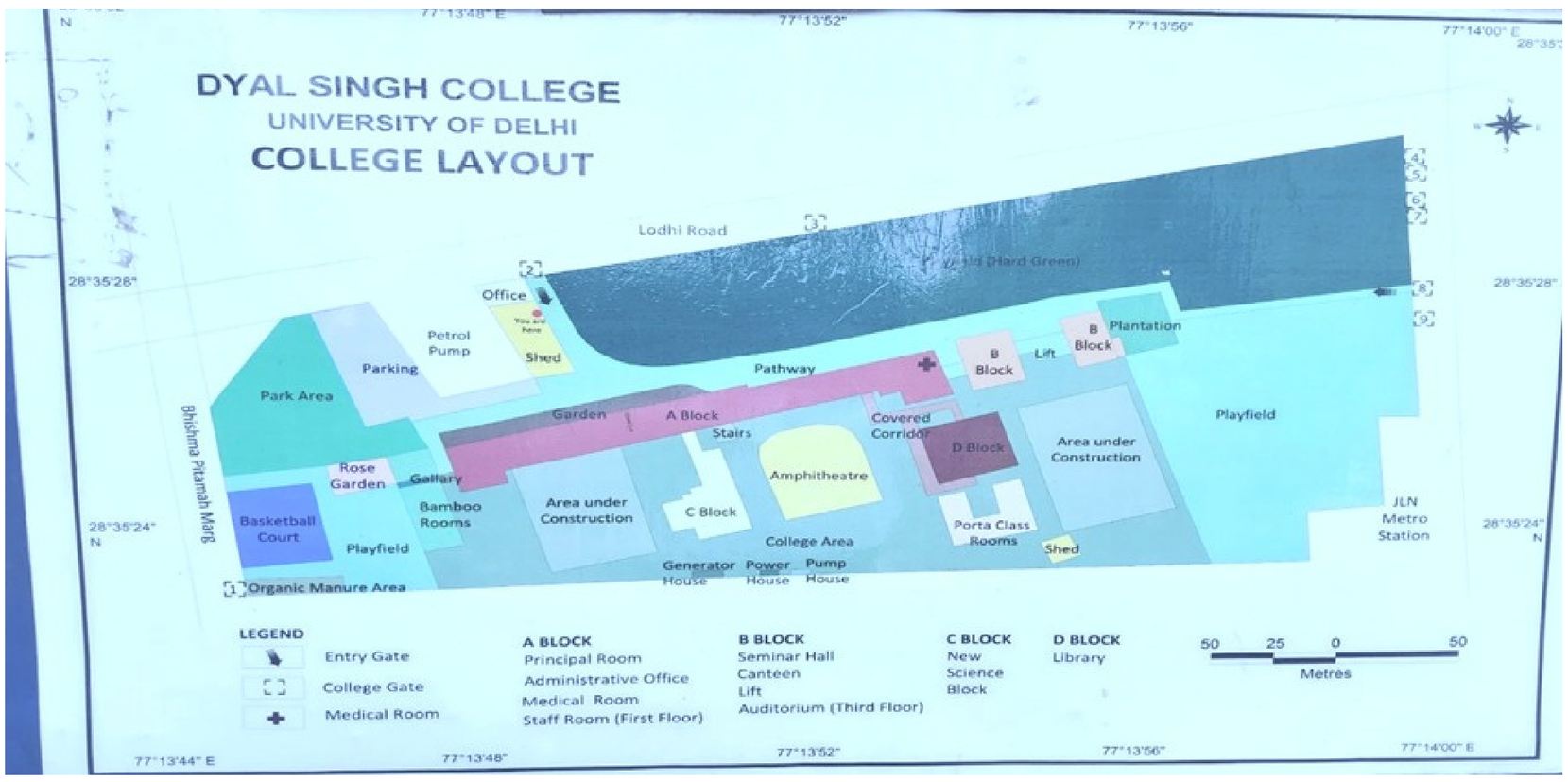

वर्तमान में, कॉलेज 24 पाठ्यक्रमों (17 ऑनर्स, 5 कार्यक्रम और 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित) में छात्र-केंद्रित मिशन और विजन के साथ 19 विभागों के माध्यम से 250 से अधिक योग्य संकाय और 100 से अधिक गैर -टीचिंग स्टाफ के सदस्य 5,700 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों के छात्रों के अलावा, ईरान, नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरीशस, थाईलैंड, भूटान, अफगानिस्तान, सूडान, जॉर्डन, बांग्लादेश, तिब्बत, यमन, तुर्कमेनिस्तान, लेसोथो, यूएई, यूएसए और यूके के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने कॉलेज में विविधता को समृद्ध किया है।

1 लाख से अधिक पुस्तकों और 57 पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के कुल संग्रह के साथ कॉलेज पुस्तकालय, छात्रों और संकाय की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। एमएचआरडी/यूजीसी के राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचा (एन-लिस्ट) कार्यक्रम की सदस्यता प्राप्त करने के बाद कॉलेज पुस्तकालय 3,800 से अधिक ई-पत्रिकाओं और 80,000 ई-पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है। दृष्टिबाधित लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पुस्तकालय JAWS सक्षम कंप्यूटर, स्कैनर और ब्रेल प्रिंटर, ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सीडी, डेज़ी प्लेयर, लैपटॉप और टेप रिकॉर्डर से लैस है।

कॉलेज परिसर वाई-फाई सक्षम है, और छात्रों के पास क्यू-बेसिक, केमड्रा, ट्रीकॉन, फिलिप, फाइलोड्रा, मैक्सिमा, एलसी 3 और मैथमैटिका जैसे विशेष सॉफ्टवेयर तक पहुंच है। संकाय सदस्य अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। संकाय ने पीएच.डी. डिग्री के पुरस्कार के लिए 48 से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन किया है।

छात्र खेल, कला और संस्कृति, एनसीसी, एनएसएस और कई अन्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अच्छी संख्या में छात्रों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अवसर मिलता है।

वर्तमान में, कॉलेज में निम्नलिखित बुनियादी ढांचा है:

1. 65 क्लासरूम, जिसमें सात इको-फ्रेंडली बांस आधारित क्लासरूम और ट्यूटोरियल रूम शामिल हैं।
2. 22 प्रयोगशालाएं (ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी कंप्यूटर लैब सहित) और
3. 4 अनुसंधान प्रयोगशालाएं
4. 120 के बैठने की क्षमता वाला सेमिनार हॉल
5. 1000 की बैठने की क्षमता वाला ओपन-एयर एम्फीथिएटर
6. अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 210 की बैठने की क्षमता वाला सभागा
7. विशाल कैंटीन
8. पावर बैक अप के लिए दो जनरेटर 140kva / 300 kva
9. सुरक्षा रोशनी और चारदीवारी से घिरी हुई
10. 600 केवीए इलेक्ट्रिक पैनल
11. एक सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट
12. क्रिकेट नेट अभ्यास, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तीरंदाजी के लिए कोर्ट
13. सुसज्जित संकाय कक्ष
14. पुरस्कार विजेता हरे भरे लॉन, रोज़ गार्डन, हर्बल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन
15. वाई-फाई सक्षम परिसर
16. कॉलेज परिसर की सीसीटीवी निगरानी
17. विकलांग अनुकूल शौचालय, रैंप और लिफ्ट
18. पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
19. अग्निशामक
20. प्रयोगशालाओं/कक्षाओं में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर
21. चिकित्सा कक्ष
22. 100 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा पैनल
23. प्रयोगशालाओं/कैंटीन में आईजीएल गैस कनेक्टिविटी
24. 10 केएलडी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
25. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन / भस्मक
26. उद्यान/कैंटीन अपशिष्ट के लिए कम्पोस्टर

नियोजित परियोजना:
सिंथेटिक स्पोर्ट्स कोर्ट

चालू प्रकल्प
5500 वर्गमीटर साइंस ब्लॉक फेज II।

चित्र: *5500* वर्गमीटर विज्ञान ब्लॉक चरण *II* मॉडल

अन्य सुविधाएँ

- खेल/ईसीए/एनसीसी/एनएसएस/विभागीय और कई अन्य समाज।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से देय राशि की वापसी
- ऑनलाइन शुल्क संग्रह
- परामर्श

पुरस्कार

पुरस्कार	नियम
डॉ. अशोक कुमार स्मृति पुरस्कार	बीएससी में दो छात्रों ने(ऑनर्स) भौतिकी I और II वर्ष, क्रमशः प्रथम स्थान हासिल किया है। केवल मुख्य विषय में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही पुरस्कार के लिए पात्र है
श्री.पी.सी. अग्रवाल मेमोरियल पुरस्कार	दो पुरुष छात्र (बी.कॉम (एच), बी.कॉम (पी) द्वितीय वर्ष के प्रत्येक) जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया
श्रीमती सुषमा अग्रवाल मेमोरियल पुरस्कार	दो छात्राएं (बी.कॉम.(एच) और बी.कॉम.(पी) द्वितीय वर्ष की प्रत्येक) जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया
श्री सुल्तान चंद मेमोरियल स्कॉलरशिप	बी कॉम (एच) सेमेस्टर II (70% से ऊपर) में उच्चतम अंक हासिल करने वाला छात्र
डॉ. उषा अग्रवाल तेजस्वी/तेजस्विनी छात्रवृत्ति	एक छात्र बी कॉम में उच्चतम अंक (70% से ऊपर) बी कॉम प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष में प्राप्त करता है
डॉ. के.बी. मिश्रा पुरस्कार	बीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र (एच) हिंदी द्वितीय वर्ष
ख्वाजा एम.ए. हे पुरस्कार बंगाली, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में	विषय में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाला और बी.ए. में विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र। (प्रोग.) द्वितीय वर्ष की परीक्षा
श्री मोहन लाल नंदा स्मृति पुरस्कार	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग II न्यूनतम 60% के साथ उच्चतम अंक प्राप्त करना और सभी विषयों को पास करना

श्रीमती राम लभाई नंदा स्मृति पुरस्कार	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग II न्यूनतम 55% के साथ दूसरा उच्चतम अंक हासिल करना और सभी विषयों को पास करना
श्री बैज नाथ मेमोरियल अवार्ड	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग I न्यूनतम 60% के साथ उच्चतम अंक प्राप्त करना और सभी विषयों को पास करना
श्रीमती श्याम प्यारी मेमोरियल अवार्ड	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग I न्यूनतम 55% के साथ दूसरा उच्चतम अंक हासिल करना और सभी विषयों को पास करना
श्रीमती पुष्पावती स्मारक पुरस्कार	बीएससी का एक छात्र फिजिकल साइंस-कंप्यूटर साइंस पार्ट II कम से कम 60% अंक हासिल कर रहा है
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग I का एक छात्र, जिसने सेमेस्टर I और II के संचयी उच्चतम अंक हासिल किए हैं
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग II का एक छात्र, जिसने सेम III और IV के संचयी उच्चतम अंक हासिल किए हैं
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग III का एक छात्र, जो सेम V और VI के संचयी उच्चतम अंक हासिल करता है
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग IV का एक छात्र, जिसने सेम I से VI . के संचयी उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं

स्नातक कार्यक्रमों में पंजीकरण और प्रवेश -2022

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को CUET- 2022 के लिए https://cuet.samarth.ac.in/ पर पंजीकरण करना होगा। कृपया इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.du.ac.in) देखें।

सामान्य दिशा - निर्देश

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए

• आवेदक को भारत में किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा, या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी विदेशी देश की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

• विदेशी छात्र श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदकों को विदेशी छात्र रजिस्ट्री वेबसाइट http://fsr.du.ac.in के माध्यम से अलग से आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लिंक देखें https://www.admission.uod.ac.in/?UG-Admissions portal

क्र.स.	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	संकाय
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) अंग्रेजी	**कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान**
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) हिंदी	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) पंजाबी	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) संस्कृत	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) उर्दू	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) भूगोल	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) इतिहास	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र	
	बी॰ ए॰ (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	
	बी॰ ए॰ (कार्यक्रम)	
	बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस	
	बीएससी (ऑनर्स) गणित	
	बीएससी ((ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान	

	बीएससी ((ऑनर्स) जूलॉजी	विज्ञान
	बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान	
	बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी	
	बीएससी (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	
	बीएससी (कार्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	
	बीएससी (प्रोग) जीवन विज्ञान	
	बी.कॉम. (ऑनर्स)	कॉमर्स
	बी.कॉम.	

स्नातक प्रवेश के लिए आवश्यक पात्रता

सामान्य न्यूनतम पात्रता
उम्मीदवार को एक ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
* यदि एक उम्मीदवार ने एक से अधिक बोर्ड से विषयों को उत्तीर्ण किया है, तो वह सीयूईटी 2022 के लिए उन विषयों में उपस्थित हो सकता है जिसमें उसने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है; हालांकि, न्यूनतम पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से, केवल एक बोर्ड की मार्कशीट/डिग्री पर विचार किया जाएगा (उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में गणित को छोड़कर पांच विषयों के साथ उपस्थित हुआ है और बाद में उपस्थित होता है और किसी अन्य बोर्ड से गणित पास करता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के रूप में, न्यूनतम पात्रता केवल सीबीएसई द्वारा जारी उसकी मार्कशीट से सुनिश्चित की जाएगी)।

कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यताएं

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET 2022 में चुने जाने वाले विषयों / पत्रों की सूची
सूची ए:

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कम से कम एक भाषा में उपस्थित होना चाहिए			
अरबी	गुजराती	मणिपुरी	सिंधी
असमिया	हिंदी	मराठी	स्पेनिश
बंगाली	इतालवी	नेपाली	तमिल
बोडो	जापानी	उड़िया	तेलुगु
चीनी	कन्नड़	फारसी	तिब्बती
डोगरी	कश्मीरी	पंजाबी	उर्दू
अंग्रेज़ी	कोंकणी	रूसी	
फ्रेंच	मैथिली	संस्कृत	
जर्मन	मलयालम	संथाली	

सूची बी:

सीयूईटी 2022 की धारा II में उल्लिखित विषयों / टेस्ट पेपर को सूची बी 1 और सूची बी 2 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उम्मीदवार को उन विषयों का चयन करने के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता का उल्लेख करना चाहिए जिनमें चयनित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET 2022 में शामिल होना चाहिए।

	सूची B1 में विषय		सूची B2 में विषय
1	लेखा/ बहीखाता पद्धति	1	कृषि
2	मनुष्य जाति का विज्ञान	2	इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
3	जीव विज्ञान/जैविक अध्ययन/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन	3	उद्यमिता
4	बिजनेस स्टडीज	4	ज्ञान परंपरा और व्यवहार भारत
5	रसायन शास्त्र	5	ललित कला/दृश्य कला (मूर्तिकला/पेंटिंग)/वाणिज्यिक कला
6	कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास	6	मास मीडिया / मास कम्युनिकेशन
7	अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र	7	शारीरिक शिक्षा/एनसीसी/योग
8	वातावरण का अध्ययन	8	प्रदर्शन कला - i) नृत्य (कथक / भरतनाट्यम / कथकली / ओडिसी / कुचिपुड़ी / मणिपुरी (ii) नाटक- रंगमंच (iii) संगीत सामान्य (कर्नाटक / रवींद्र संगीत / हिंदुस्तानी / टक्कर / गैर-टक्कर)
9	भूगोल/भूविज्ञान	9	**शिक्षण योग्यता**

10	इतिहास		
11	गृह विज्ञान		
12	विधिक अध्ययन		
13	गणित		
14	भौतिक विज्ञान		
15	राजनीति विज्ञान		
16	मनोविज्ञान		
17	संस्कृत		
18	समाज शास्त्र		

कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के लिए केवल सूची बी1 और सूची बी2 में उल्लिखित प्रश्नपत्रों को "विषय" माना जाएगा।

सीयूईटी 2022 में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को स्नातक कार्यक्रमों में योग्यता तय करने और प्रवेश देने के लिए विषयों के कार्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के अनुसार कुल अंकों की गणना के लिए माना जाएगा। मेरिट केवल 'उन विषयों के संयोजन पर आधारित होगी जिसमें एक उम्मीदवार सीयूईटी 2022 में उपस्थित हुआ है' जैसा कि संबंधित कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता में उल्लिखित है।

योग्यता की आवश्यकता और विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के तहत सीटों की संख्याः कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम

(नोटः सुपरन्यूमेरी सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होंगी। अद्यतन शुल्क की संरचना के लिए उम्मीदवारों को कॉलेज की वेबसाइटों पर जाना चाहिए।)

बी० ए०(ऑनर्स) अंग्रेजी

यह पाठ्यक्रम छात्रों को साहित्य की श्रेणी को परिभाषित/आलोचना करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; और साहित्यिक अध्ययन, पाठ्यचर्या, और सिद्धांत के उद्भव को समझें। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य साहित्य की पूर्व-कल्पित धारणाओं को अनुकरणीय अभ्यावेदन के रूप में समझना, सांस्कृतिक उत्पादन के हिस्से के रूप में साहित्य को रेखांकित करना, ऐतिहासिक विशिष्टता में मजबूती से निहित है, निर्धारित ग्रंथों के साथ गहन जुड़ाव के माध्यम से एक एकीकृत तरीके से भाषा कौशल विकसित करना और इन कौशलों के उपयोग में व्यावहारिक अभ्यास शिक्षार्थियों को देना है। बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) अंग्रेजी कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता म्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
सूची ए से अंग्रेजी + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची बी 1 या सूची बी 2 में से कोई भी एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) अंग्रेजी

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-English

बी० ए० (ऑनर्स) हिंदी

यह पाठ्यक्रम हिंदी के छात्रों को भाषा की क्षमता की व्यापक समझ से परिचित कराता है, साथ ही स्थानीय और विश्व स्तर पर समाज की चुनौतियों के संदर्भ में उन्हें जोड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह हिंदी साहित्य की एक नई समझ और भाषा की व्यावहारिकता और पेशेवर क्षमता का भी विकास कर रहा है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) हिंदी
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
सूची ए से हिंदी + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची बी 1 या सूची बी 2 में से कोई एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) हिंदी

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Hindi

बी० ए० (ऑनर्स) पंजाबी

यह कार्यक्रम छात्रों को तीन प्रमुख घटकों: पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ विकसित और लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सभी घटक धर्मनिरपेक्ष विरासत से जुड़े हैं। इनके साथ, एक छात्र न केवल एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है बल्कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो जाता है। इसके अलावा, कार्यात्मक भाषा कौशल में शिक्षा प्रदान करने और बोली जाने वाली भाषा संगोष्ठी और व्याख्या सत्र आयोजित करने के लिए इकाइयां हैं। बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) पंजाबी कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: सूची ए से पंजाबी + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची बी 1 या सूची बी 2 से कोई एक विषय
या संयोजन II: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई भी दो विषय + सूची में से कोई भी एक विषय
B1 या सूची B2
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।
जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए संयोजन II का विकल्प चुना है, , जिन्होंने संयोजन I का विकल्प चुना है उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद सीटें खाली रहने पर ही विचार किया जाएगा।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) पंजाबी

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
23	9	4	16	.....	6

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Punjabi

बी० ए० (ऑनर्स) संस्कृत

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से शास्त्रीय संस्कृत साहित्य (कविता) की सामान्य रूपरेखा से परिचित कराना, महान संस्कृत कवियों के कार्यों का एक उचित विचार विकसित करना, काव्यात्मक, कलात्मक पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्तिगत कवियों की शैलियों, उनके कार्यों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू। और विचारों की सराहना करना है। यह कार्यक्रम शुद्ध शास्त्रीय संस्कृत में क्षमता को बढ़ाएगा और उन्हें काव्य रचनाओं के अनुवाद और व्याख्या में कौशल प्रदान करेगा।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) संस्कृत

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

संयोजन I: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से संस्कृत + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची बी 1 से होना चाहिए

या संयोजन II: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची ए से संस्कृत + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची बी 1 से होना चाहिए

या संयोजन III: सूची ए से संस्कृत + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची बी 1 या सूची में से कोई एक विषय

बी2

या संयोजन IV: सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 में से कोई भी दो विषय + इनमें से कोई एक विषय

सूची B1 या सूची B2

मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।

जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए संयोजन IV का विकल्प चुना है, उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद ही सीटें रिक्त रहने पर ही विचार किया जाएगा, जिन्होंने संयोजन I/II/II का विकल्प चुना है।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) संस्कृत

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
23	9	4	16	.....	6

Important link: https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Sanskrit

बी० ए० (ऑनर्स) उर्दू

उर्दू भाषा में उर्दू साहित्य का एक इतिहास है जो उर्दू, फारसी-अरबी लिपि में लिखी गई हिंदुस्तानी भाषा का रजिस्टर के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कविता, विशेष रूप से ग़ज़ल और नज़्म के पद्य रूपों का प्रभुत्व है, लेकिन यह लघु कहानी या अफसाना सहित लेखन की अन्य शैलियों में विस्तारित हो गया है। बीए (ऑनर्स) उर्दू का पाठ्यक्रम उर्दू भाषा और साहित्य और समग्र संस्कृति के तीन प्रमुख घटक प्रदान करता है, जिसमें गंगा जमुना तहज़ीब, हमारी धर्मनिरपेक्ष विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। इनके साथ, एक छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है और दक्षिण एशियाई अध्ययनों में इस भाषा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित होता है, जो विश्व स्तर पर कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में तेजी से बढ़ता हुआ अनुशासन बन रहा है।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) उर्दू

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

संयोजन I: सूची A से उर्दू + सूची B1 से कोई दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय

या संयोजन II: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई भी दो विषय + सूची में से कोई एक विषय

B1 या सूची B2
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।
जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए संयोजन II का विकल्प चुना है, उन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब संयोजन I का चयन करने वाले सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद सीटें खाली रहती हैं।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) उर्दू

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
23	9	4	16	.....	6

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-सामान्यdu

बी० ए० (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

बी० ए० (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र अनुशासन में उन्नत सोच के लिए एक कठोर आधार प्रदान करता है। यह छात्रों को घरों, फर्मों और सरकारी संस्थानों के व्यवहार और बातचीत की अवधारणा और व्याख्या के लिए एक तार्किक प्रतिमान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम छात्रों को समकालीन प्रासंगिकता के साथ पाठ्यक्रमों के एक सेट से वैकल्पिक पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देता है, जिससे छात्रों को शिक्षा, कानून, प्रबंधन, पत्रकारिता, सरकार और कई अन्य क्षेत्रों में करियर की तैयारी के लिए लचीलापन प्रदान करता है। कार्यक्रम अर्थशास्त्र अनुशासन में वैश्विक मानकों के अनुरूप है। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में एक स्नातक छात्र की तुलना में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
सूची ए में से कोई एक भाषा + गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची बी 1 से होना चाहिए
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Economics

बी० ए० (ऑनर्स) भूगोल

भूगोल में बीए (ऑनर्स) की डिग्री के छात्र विभिन्न उपक्षेत्रों जैसे कि भौतिक विज्ञान, संसाधन, वैश्विक आर्थिक प्रणाली, सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं, ग्रामीण और शहरी परिवेश, पर्यावरण और आपदा अध्ययन और मानचित्रण विधियों की भौगोलिक समझ का उपयोग करना सीखेंगे। उन्हें नक्शों को पढ़ने और व्याख्या करने, ट्रांज़ेक्ट चार्ट और विषयगत एटलस तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे मौसम के नक्शे और चार्ट के माध्यम से मौसम की घटनाओं को पढ़ और उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसके अलावा, छात्र डेटा हैंडलिंग, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण और विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, छात्रों को रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना विज्ञान के अध्ययन, डिजिटल रूप से मानचित्र बनाने और मॉडलिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों का ज्ञान भी प्राप्त होगा।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) भूगोल

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त कट स्कोर पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) भूगोल

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
23	9	4	16	.....	6

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Geography

बी० ए० (ऑनर्स) इतिहास

बी० ए० (ऑनर्स) इतिहास पाठ्यक्रम स्नातक विशेषताओं जैसे भलाई, भावनात्मक स्थिरता, महत्वपूर्ण सोच, सामाजिक न्याय और रोजगार कौशल को विकसित करने की पेशकश करता है। छात्रों को एक शैक्षणिक रूप में आयोजित क्षेत्र में हालिया इतिहासलेखन तक पहुंच प्रदान करता है जो सुलभ और दिलचस्प है। यह छात्रों के लिए एक अंतःविषय कार्यक्रम में संरचित है, जो उन्हें इतिहास के अनुशासन के लिए एक संक्षिप्त और संपूर्ण परिचय प्रदान करता है और संज्ञानात्मक अनुशासन के प्रति संवेदनशील रहता है कि वे भी पढ़ रहे हैं। यह संचार मोड खोलने के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में विषयों के साथ चौराहे के कई बिंदु प्रदान करना चाहता है जिसके द्वारा एक ऐतिहासिक संवेदनशीलता एक समृद्ध अनुभव हो सकती है।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) इतिहास

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) इतिहास

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-History

बी० ए० (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र

बीए (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र कार्यक्रम सबसे चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक को पेश करने और गहराई से देखने का एक प्रयास है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है। यह छात्र को महान दार्शनिकों और उनके विचारों से परिचित कराता है और उनके सिद्धांतों के लेंस के माध्यम से समकालीन समस्याओं के बारे में कैसे सोचता है। यह भारतीय और पश्चिमी दर्शन का व्यापक विस्तार देता है और छात्रों को नैतिकता में विचार की मुख्य धाराओं से अवगत कराता है। छात्र विज्ञान, तर्कशास्त्र, नारीवाद और जैव-नैतिकता के दर्शन, कई अन्य मूल और वैकल्पिक पेपरों के बीच भी खोजते हैं। छात्रों को मूल विचार हमारे आस-पास की दुनिया से संबंधित मूलभूत मुद्दों, चाहे हमारे जीवन में, या मन और पदार्थ, या अस्तित्व, या विश्वास, या धर्म या विज्ञान के बारे में से अवगत कराना है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
23	9	4	16	.....	6

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Philosophy

बी० ए० (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उस तरीके से उजागर करना है जिस तरह से राजनीति के प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है जिसका समाज में विचार और अस्तित्व के अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के निहितार्थ हैं और जिनका समाधान किया जा रहा है। विभिन्न परंपराओं के दार्शनिकों का परिचय कराकर, छात्र कुछ बुनियादी राजनीतिक सवालों के जवाब दे सकते हैं: हम राजनीतिक समुदायों में क्यों रहते हैं? सरकार का 'सर्वश्रेष्ठ' रूप क्या है? मानव स्वभाव राजनीतिक निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करता है? हमें बुरे शासकों का विरोध कैसे और किन परिस्थितियों में करना चाहिए? पाठ्यक्रम के अंत तक, छात्र आधुनिकता के विचार को समझने और आधुनिकता के माध्यम से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों और इसके निर्धारित राजनीतिक सुझावों के बीच संबंध स्थापित करने में सक्षम हैं।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में कट में उपस्थित होना चाहिए:
सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

बी० ए० (कार्यक्रम)

बी० ए० (कार्यक्रम) छात्रों को उनकी समानता के विषयों में स्नातक करने के लिए आकर्षित करने के लिए विषय संयोजनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कॉलेज कई प्रकार के संयोजन प्रदान करते हैं, जिसमें से एक छात्र उन विषयों को चुन सकता है जिनमें वह अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय 180 से अधिक बीए (कार्यक्रम) संयोजन प्रदान करता है, जिससे विभिन्न विषयों का समामेलन होता है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (कार्यक्रम)
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची में से कोई एक विषय
B1 या सूची B2
या संयोजन II: सूची A में से कोई एक भाषा + सूची B1 या सूची B2 + अनुभाग III में से कोई एक विषय
सीयूईटी (सामान्य परीक्षा)
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।
नोट: चूंकि CUET अनुभागों का वेटेज समान नहीं है, इसलिए उचित प्रोरेशन किया जाएगा।

सीटों की संख्या (कार्यक्रम)

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
93	36	17	62	.....	23

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Program

योग्यता आवश्यकता और विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के तहत सीटों की संख्या: विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम

बीएससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

बी.एससी. (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम पौधों का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और तकनीकी कौशल प्रदान करता है। छात्रों को महत्वपूर्ण अंत:विषय घटकों के साथ कोर और वैकल्पिक पेपर के एक अद्वितीय संयोजन का उपयोग करके पादप जीव विज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों को वर्तमान में पौधों के जीवन रूपों, उनके विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अन्य जीवों के साथ बातचीत के अध्ययन में उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। छात्र पौधों के सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उनकी प्रासंगिकता के बारे में भी जागरूक होंगे।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
16	6	3	10	.....	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Botany

बीएससी (ऑनर्स) जीव विज्ञान

इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, छात्र विभिन्न मानव प्रणालियों, उनके समन्वय और नियंत्रण के बारे में जानने और जानने के लिए अधिक सुसज्जित होंगे। जीव विज्ञान डिग्री प्रोग्राम शास्त्रीय आनुवंशिकी को समझने के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि आबादी, उनकी विरासत, जातीयता के बीच अन्य लक्षणों के वितरण को समझा जा सके और जीनोमिक्स, मेटागेनोमिक्स, जीनोम एडिटिंग और आणविक निदान उपकरण जैसी समकालीन और आधुनिक तकनीकों के साथ सहसंबंध बनाया जा सके।

इस पाठ्यक्रम के व्यावहारिक और सैद्धांतिक कौशल सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों को डिजाइन करने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम को लागू विषयों का गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि रोजगार कौशल का समावेश सुनिश्चित हो सके ताकि छात्र करियर बना सकें और जलीय जीव विज्ञान, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि के विविध क्षेत्रों में उद्यमी बन सकें। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्र वन्यजीव संरक्षण, पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में नीति निर्माताओं के रूप में योगदान कर सकते हैं।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) जीव विज्ञान

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) जूलॉजी

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
16	6	3	10	.....	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Zoology

बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान

बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम।

दिल्ली विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि कार्यक्रम बीएससी (ऑनर्स) छात्रों को एक अकार्बनिक, जैविक, भौतिक, सामग्री और विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। पाठ्यक्रम छात्रों को ध्वनि सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करेंगे जो शिक्षाविदों और उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप है। रसायन विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में करियर के रूप में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम भी पर्याप्त कौशल प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने विभागों में से रसायन विज्ञान छात्रों द्वारा एक समाज की मांगों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम दिमाग तैयार करने के लिए पेश किया जाता है।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स।) रसायन विज्ञान

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।
उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
16	6	3	11	.....	3

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Chemistry

बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी

भौतिकी एक प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक विज्ञान है जो उप-परमाणु डोमेन से पूरे ब्रह्मांड तक लंबाई के पैमाने पर संचालित प्रकृति के नियमों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी के अनुशासनात्मक / विषय क्षेत्र के भीतर अध्ययन के मुख्य कार्यक्रम हैंः शास्त्रीय और क्वांटम यांत्रिकी, बिजली और चुंबकत्व, थर्मल और सांख्यिकीय भौतिकी, तरंग सिद्धांत और प्रकाशिकी, सामग्री के भौतिकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और गणितीय भौतिकी के विशेष तरीके और विषय की विभिन्न शाखाओं में उनके अनुप्रयोग, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के काम के साथ, छात्र भौतिकी की विभिन्न शाखाओं के लिए भौतिकी प्रयोगशाला विधियों, विशेष माप तकनीकों, अवलोकन संबंधी डेटा का विश्लेषण, त्रुटि अनुमान सहित, और वैज्ञानिक रिपोर्ट लेखन भी सीखते हैं। भौतिकी शिक्षाशास्त्र का नवीनतम जोड़ कम्प्यूटेशनल भौतिकी है, जिसमें एल्गोरिथम समाधान और मॉडलिंग और भौतिक घटनाओं के अनुकरण के लिए भौतिकी की समस्याओं को अपनाना शामिल है।
बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) भौतिकी
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।
उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Physics

बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

बी.एससी. (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम कम्प्यूटेशनल सोच, विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल बनाने के लिए कंप्यूटर विज्ञान में सैद्धांतिक नींव विकसित करने की पेशकश करता है। कार्यक्रम कंप्यूटर विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को तैयार करता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक रचनात्मक मानसिकता के साथ कुशल स्नातक तैयार करना है जो आईटी उद्योग या समाज में एक कम्प्यूटेशनल समस्या को पहचान सकते हैं और प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं, इसके अलावा, छात्र सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली समकालीन प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके प्रोग्रामिंग कौशल में विशेषज्ञता विकसित करते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना सुरक्षा जैसे मुख्य कंप्यूटर विज्ञान विषय शामिल हैं।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

सूची ए में से कोई एक भाषा + गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची बी 1 से होना चाहिए

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
23	9	4	16	.....	6

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Computer-Science

बीएससी (ऑनर्स) गणित

बी.एससी. (ऑनर्स) गणित कार्यक्रम का उद्देश्य आलोचनात्मक, तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना है और इसलिए दैनिक जीवन में गणितीय तर्क का उपयोग करना है। गणित में डिग्री हासिल करने से छात्रों को शिक्षा, अनुसंधान, सरकारी क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र और उद्योग में कई गणित करियर की तैयारी में कई दिलचस्प और मूल्यवान विचारों से परिचित कराया जाएगा। बी.एससी. (ऑनर्स) गणित कार्यक्रम में शास्त्रीय कैलकुलस से लेकर आधुनिक क्रिप्टोग्राफी, सूचना सिद्धांत और नेटवर्क सुरक्षा तक गणित की पूरी श्रृंखला शामिल है। पाठ्यक्रम कैलकुलस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्सट्रैक्ट अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन (गणितीय मॉडलिंग सहित), नंबर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी और विशेष रूप से गणित के लिए सी ++ प्रोग्रामिंग की एक संरचित नींव रखता है।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) गणित

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में कट में उपस्थित होना चाहिएः

सूची ए में से कोई एक भाषा + गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची बी 1 से होना चाहिए

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) गणित

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
47	18	9	32	.....	11

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Mathematics

बीएससी (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को एसआई इकाइयों, एकाग्रता की शर्तों, विभिन्न विश्लेषणात्मक तरीकों, रासायनिक विश्लेषण में त्रुटियों के प्रकार, डेटा के सांख्यिकीय परीक्षण और रसायनों और उनके कचरे के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करना है।
बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
भौतिकी + गणित + रसायन विज्ञान
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET स्कोर पर आधारित होगी।
उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
62	24	11	42	.....	15

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Prog.-Physical-Science-with-Chemistry

बीएससी (कार्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

यह प्रोग्राम कंप्यूटर आधारित सिस्टम को डिजाइन करने, कार्यान्वित करने और मूल्यांकन करने के लिए कौशल प्रदान करता है और कंप्यूटर सिस्टम, बुनियादी सिद्धांतों और भौतिक विज्ञान से संबंधित उनके अनुप्रयोगों को समझकर कम्प्यूटेशनल समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटिंग के ज्ञान को लागू करता है। इसके अलावा, यह दर्शकों की एक श्रृंखला के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है।
बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (कार्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
संयोजन I: भौतिकी + गणित + रसायन विज्ञान
या
संयोजन II: भौतिकी + गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ कट स्कोर पर आधारित होगी।
उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (कार्यक्रम) भौतिक विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

बीएससी (प्रोग) जीवन विज्ञान

यह कार्यक्रम छात्रों को जैविक विज्ञान के संबद्ध विषयों के साथ-साथ अनुशासनात्मक विषयों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने की पेशकश करेगा, जो छात्रों को दुनिया में मौजूद जीवन प्रक्रियाओं की विविधता के साथ-साथ उनके विकासवादी पहलुओं को समझने और उनकी सराहना करने में मदद करेगा। इसके अलावा, पाठ्यक्रम अनुसंधान उपकरण और जीनोमिक्स, मेटा जेनेटिक्स जैसे कम्प्यूटेशनल टूल को संभालने और सामाजिक कल्याण के लिए समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों को डिजाइन करने में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करेगा।
बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (प्रोग) जीवन विज्ञान
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः
रसायन विज्ञान + भौतिकी + जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।
उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (प्रोग) जीवन विज्ञान

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
31	12	6	21	.....	7

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Prog.-Life-Science

पात्रता आवश्यकता और विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के तहत सीटों की संख्या: वाणिज्य में स्नातक कार्यक्रम

बी.कॉम. (ऑनर्स)

बी.कॉम. (ऑनर्स) दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम छात्रों को व्यवसाय से संबंधित समकालीन वास्तविकताओं का विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए ज्ञान, कौशल और क्षमता हासिल करने में सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पाठ्यक्रम परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा की हवाओं और सतत विकास के एक बेहद जरूरी परिप्रेक्ष्य के सामने मौजूदा व्यवसायों को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आज की व्यावसायिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए वैचारिक समझ पैदा करना और उन्हें ड्राइव करने और कल की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना है। यह विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा परिकल्पित प्रासंगिक क्षेत्र में छात्रों को प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण की दुनिया से भी परिचित कराता है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है, इस पाठ्यक्रम को उद्यमशीलता की मानसिकता और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

बीकॉम में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स)

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

संयोजन I: सूची ए में से कोई एक भाषा + गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची बी I से होना चाहिए

या

संयोजन II: सूची ए में से कोई एक भाषा + लेखा + कोई भी दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची बी I से होना चाहिए

मेरिट उपखंडों के उपर्युक्त संयोजनों में से किसी से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या बी.कॉम. (ऑनर्स)

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
93	36	17	62	.....	23

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Commerce/B.Com.-Hons

बी.कॉम.

वाणिज्य को समाज और व्यवसाय के बीच एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। समय के साथ दोनों के बीच बातचीत की प्रकृति और उद्देश्य में जबरदस्त बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय के आकार और डिजाइन को फिर से तैयार किया है, इसकी प्रकृति के कायापलट और सामाजिक कामकाज के मैट्रिक्स को जन्म दिया है। इस परिवर्तन के निहितार्थों को स्वीकार करते हुए, बी.कॉम. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में व्यवसाय की दुनिया के कामकाज और आधार की समझ का निर्माण करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, कार्यक्रम छात्रों को संगठनात्मक कामकाज, वित्तीय प्रणाली, अर्थव्यवस्था की समझ, व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले कानूनों, समाज तक पहुंचने के लिए व्यवसायों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों आदि के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम छात्रों को एक अवसर भी प्रदान करता है। रोजगार तलाशने वालों के रूप में नहीं बल्कि एक उद्यमी और नौकरी देने वाले के रूप में समाज की सेवा करने के लिए खुद को तलाशें, प्रयोग करें और तैयार करें।

बी कॉम में प्रवेश के लिए पात्रता

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिएः

संयोजन Iः सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची में से कोई एक विषय B1 या सूची B2

या

संयोजन IIः सूची A में से कोई एक भाषा + सूची B1 या सूची B2 + अनुभाग III में से कोई एक विषय सीयूईटी (सामान्य परीक्षा)

मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।

नोटः चूंकि CUET अनुभागों का वेटेज समान नहीं है, इसलिए उचित प्रोरेशन किया जाएगा।

सीटों की संख्या बी.कॉम

सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडब्ल्यूएस
93	36	17	62	.....	23

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Commerce/B.Com

लघुरूप

1एईसी' 'क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम' को इंगित करता है
2. 'बीए' 'बैचलर ऑफ आर्ट्स' को दर्शाता है
3. 'बी कॉम. 'बैचलर ऑफ कॉमर्स' इंगित करता है
4. 'बीएससी' 'बैचलर ऑफ साइंस' को दर्शाता है
5. 'डीएससी' 'अनुशासन विशिष्ट कोर' को इंगित करता है
6 'डीएसई' 'अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक' इंगित करता है
7. 'जीई' 'जेनेरिक ऐच्छिक' को इंगित करता है
8. 'एसईसी' 'कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम' को इंगित करता है
9. 'वीएसी' 'वैल्यू एडिशन कोर्स' को दर्शाता

1. **अध्ययन के पाठ्यक्रम -** अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विशेष विषय में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक अनुशासन अध्ययन के पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों की पेशकश करेगा, अर्थात अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम (डीएससी), अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई) और सामान्य ऐच्छिक (जीई)।

ए) अनुशासन विशिष्ट कोर (डीएससी): अनुशासन विशिष्ट कोर अध्ययन का एक पाठ्यक्रम है, जिसे एक छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपनाया जाना चाहिए। डीएससी उस विशेष विषय के मुख्य क्रेडिट पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हें एनईपी 2020 के अनुसार कई निकास विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किए जा रहे अध्ययन के सेमेस्टर में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा। ढांचे में निर्दिष्ट डीएससी को संबंधित विभाग द्वारा एक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जाएगा।
उदाहरण के लिए, एकल अनुशासन विशिष्ट ऑनर्स डिग्री प्रदान करने के लिए, जैसे कि बी.ए. (ऑनर्स) हिस्ट्री, बी.कॉम. (ऑनर्स), बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी और इसी तरह के ऐसे कार्यक्रम, डीएससी क्रमशः इतिहास, वाणिज्य और भौतिकी के मुख्य पाठ्यक्रम होंगे।

हालाँकि, 'अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र' (एक एकल अनुशासन के बजाय) जैसे बी.एससी. में ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बी.एससी. (ऑनर्स) लाइफ साइंसेज, बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी, डीएससी में एक से अधिक विषयों के कोर क्रेडिट पाठ्यक्रम शामिल होंगे।उदाहरण के लिए, बी.एस.सी. (ऑनर्स) जीवन विज्ञान कार्यक्रम, एक छात्र तीन विषयों अर्थात वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेगा। DSC 1 डिसिप्लिन A1 (जैसे, बॉटनी) का हो सकता है, DSC 2 डिसिप्लिन B 1 (जैसे, जूलॉजी) का हो सकता है और DSC 3 डिसिप्लिन C 1 (जैसे, केमिस्ट्री) का हो सकता है। हालांकि, इस तरह के ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम का चौथा वर्ष केवल एक विषय के अध्ययन के लिए समर्पित होगा और इसलिए VII और VIII सेमेस्टर में DSC पाठ्यक्रम अनुशासन ए/बी/सी के होंगे न कि इन तीन विषयों के संयोजन के लिए। कृपया उदाहरण-I के रूप में दिए गए ढांचे को देखें।

बी) अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई): अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई) उस विशेष अनुशासन (अध्ययन के एकल अनुशासन कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहु-विषयक कार्यक्रम) के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा, जैसा भी मामला हो, जो एक छात्र अपने विशेष अनुशासन से अध्ययन करना चुनता है। डीएसई का एक पूल होगा जिसमें से एक छात्र अध्ययन के पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। ढांचे में निर्दिष्ट डीएसई को संबंधित विभाग द्वारा एक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जाएगा।

उदाहरण के लिए, बीएससी (ऑनर्स) करने के लिए फिजिक्स, डीएसई चुने गए डीएसई फिजिक्स के पूल से होने चाहिए। इसी प्रकार बी.एस.सी. (ऑनर्स) जीवन विज्ञान कार्यक्रम, चुने गए डीएसई को वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन विज्ञान के डीएसई के पाठ्यक्रमों का एक पूल होना चाहिए, जो अध्ययन के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य विषय हैं।

हालाँकि, 'अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र' (एक एकल अनुशासन के बजाय) जैसे बी.एससी. में ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ साइंसेज (ऑनर्स), बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी, सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में इस तरह के ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम के चौथे वर्ष में, छात्र को किसी एक विषय ए/बी/सी से डीएसई का चयन करना होगा, न कि इन तीनों का संयोजन अनुशासन। कृपया उदाहरण - I के रूप में दिए गए ढांचे का संदर्भ लें।

ग) सामान्य ऐच्छिक (जीई): जेनेरिक ऐच्छिक पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा जो छात्रों को बहु-विषयक या अंत:विषय शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जीई में विषम और सम सेमेस्टर के समूहों में अध्ययन के विभिन्न विषयों (मूल अनुशासन द्वारा प्रस्तावित जीई को छोड़कर) द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक पूल शामिल होगा, जिसमें से एक छात्र चुन सकता है। ढांचे में निर्दिष्ट जीई की पहचान संबंधित विभाग द्वारा एक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले जीई के रूप में की जाएगी।
यदि कोई छात्र अध्ययन के अपने अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) से परे डीएसई का विकल्प चुनता है, तो ऐसे डीएसई को उस छात्र के लिए जीई के रूप में माना जाएगा।

डी) क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी), कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (एसईसी) और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (वीएसी) ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सम सेमेस्टर के समूहों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा, जिसमें से छात्र चुन सकते हैं। एक छात्र जो माइनर के रूप में शैक्षणिक परियोजना/उद्यमिता बनाना चाहता है, उसे जीई, एसईसी, वीएसी, और इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/परियोजना/समुदाय (आईएपीसी) के पाठ्यक्रमों के उपयुक्त अध्ययन की योजना में संयोजन को चुनना होगा जो कि निर्दिष्ट के अनुसार विभिन्न मॉड्यूल के रूप में पेश किए जाएंगे।

i) एईसी पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित पाठ्यक्रम हैं जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य और पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास हैं जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।
ii) एसईसी पाठ्यक्रम सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इसका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। एसईसी पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है। iii) वीएसी पाठ्यक्रम मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम हैं जो नैतिकता, संस्कृति, संवैधानिक मूल्यों, सॉफ्ट स्किल्स, खेल को विकसित करने के लिए हैं।
शिक्षा और छात्रों के लिए ऐसे समान मूल्य जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करेंगे।

1.प्रमुख अनुशासन

क) एक विशिष्ट अनुशासन (कोर कोर्स) में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का पीछा करने वाले छात्र को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक अनुशासन में मेजर के साथ उचित ऑनर्स डिग्री से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह उस अनुशासन में कुल क्रेडिट का कम से कम 50% हासिल करता है। यानी, उस अनुशासन में कुल 176 क्रेडिट में से कम से कम 88 क्रेडिट। वह 20 डीएससी और आठ ए) सेमेस्टर में कम से कम 2 डीएसई का अध्ययन करेगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो वाणिज्य में बी.कॉम. (ऑनर्स) करता है मेजर प्राप्त करने के लिए 20 डीएससी और कम से कम दो डीएसई से न्यूनतम 88 क्रेडिट अर्जित करेगा।

बी) कोर कोर्स (उदाहरण के लिए बीए सामाजिक विज्ञान / मानविकी, बीएससी जीवन विज्ञान, बीएससी भौतिक विज्ञान, बीएससी गणितीय विज्ञान, बी. कॉम और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों) को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक अनुशासन में मेजर के साथ उचित ऑनर्स डिग्री से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह उस अनुशासन में कुल 176 क्रेडिट में से 80 क्रेडिट हासिल करता है। वह पहले छह सेमेस्टर और 2 डीएससी, 6 डीएसई में उस विषय में 6 डीएससी और कम से कम 3 डीएसई का अध्ययन करेगा और सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में उस विषय में शोध प्रबंध लिखेगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो चार वर्षीय बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी आठवें सेमेस्टर के पूरा होने पर इतिहास में मेजर के लिए पात्र होंगे, यदि वह 8 डीएससी और इतिहास के कम से कम 9 डीएसई से न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करता है और इतिहास से संबंधित विषय पर शोध प्रबंध लिखता है।

3. मामूली अनुशासन

ए) ऊपर 2 (ए) में उल्लिखित छात्र को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक विषय में माइनर से सम्मानित किया जा सकता है, अगर वह उस विषय के सात जीई पाठ्यक्रमों से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास कुल बारह जीई पाठ्यक्रमों में से राजनीति विज्ञान के सात जीई पाठ्यक्रमों को चुनता है और शोध प्रबंध लिखता है, उसे आठवीं सेमेस्टर, इतिहास में मेजर और राजनीति विज्ञान में माइनर के सफल समापन पर सम्मानित किया जाएगा।

बी) ऊपर 2 (बी) में उल्लिखित एक छात्र को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक विषय में माइनर से सम्मानित किया जा सकता है, अगर वह छह डीएससी और उस अनुशासन के एक डीएसई से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है। उदाहरण के लिए, चार वर्षीय बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास में मेजर के साथ सामाजिक विज्ञान / मानविकी (इतिहास में कम से कम 80 क्रेडिट हासिल करने के बाद), आठवीं सेमेस्टर के सफलतापूर्वक समापन पर हिंदी में माइनर से सम्मानित किया जा सकता है यदि वह छह डीएससी और हिंदी के एक डीएसई (छठे सेमेस्टर तक) से 28 क्रेडिट अर्जित करता है।

माइनर की यह परिभाषा जीई से स्वतंत्र है जिसके लिए माइनर के रूप में माने जाने के लिए 28 क्रेडिट की आवश्यकता है।
इसके अलावा, यदि कोई छात्र भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे तीन विषयों के बजाय भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे दो विषयों का विकल्प चुनता है, तो प्रमुख और मामूली अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रमों में अर्जित क्रेडिट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। माइनर की अवधारणा तभी प्रासंगिक है जब कोई मेजर डिसिप्लिन हो।

स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ)-2022

यूजीसीएफ कई निकास विकल्पों के साथ विभिन्न विषयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक संरचना है। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें (https://centenary.du.ac.in/?Documents-Documentaries/UGCF-2022-NEP-2020#

नोट

1.प्रवेश स्तर की पात्रता: स्तर 5 में प्रवेश के लिए सामान्य फीडर श्रेणी 12 वीं कक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र है। स्नातक की डिग्री के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए अध्ययन का एक कार्यक्रम उन छात्रों के लिए खुला है, जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें कार्यक्रम प्रवेश नियमों में उल्लिखित शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर प्राप्ति के निर्दिष्ट स्तर शामिल हैं। अध्ययन के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश आवेदक की स्नातक डिग्री कार्यक्रम को पूरा करने और पूरा करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (अकादमिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है, जो शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास योजना के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

2.एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के घंटों की संख्या को उसके व्याख्यान, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक के घटक द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

3.प्रत्येक छात्र को क्रमशः पहले वर्ष (I/II सेमेस्टर) और दूसरे वर्ष (III/IV सेमेस्टर) में दो-दो क्रेडिट के "पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास" पाठ्यक्रम I और II का अध्ययन करना होता है। एईसी पूल में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में क्रेडिट पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय उन कॉलेजों (जहां संकाय उपलब्ध नहीं है) को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें इन भाषाओं में शिक्षण शिक्षण के दौरान इसकी आवश्यकता हो सकती है।

4. डिग्रियों का डिजाइन: छात्र पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करने के बजाय, अपनी क्षमता और उपलब्धि के अनुरूप भविष्य के लिए अपने मिशन और आकांक्षा के अनुसार अपनी डिग्री डिजाइन करने में सक्षम होंगे।

5. एक छात्र जो कोर कोर्स के रूप में एक विशिष्ट विषय में तीन साल के स्नातक डिग्री कार्यक्रम का अनुसरण करता है [उदाहरण के लिए, बी.ए. (ऑनर्स) इंग्लिश, बी.कॉम (ऑनर्स), बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी और ऐसे अन्य कार्यक्रम] उस विषय में कम से कम 80 क्रेडिट अर्जित करेंगे (18 डीएससी और उस अनुशासन के कम से कम 2 डीएसई से) और अगर वह सेमेस्टर VI के पूरा होने के बाद बाहर निकलता है, उस विषय में ऑनर्स की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

6. एक छात्र जो अध्ययन के मुख्य पाठ्यक्रमों के रूप में एक से अधिक विषयों में तीन साल के स्नातक डिग्री कार्यक्रम का अनुसरण करता है (उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान / मानविकी में बीए, जीवन विज्ञान में बीएससी, भौतिक विज्ञान में बीएससी, बी.एससी। गणित विज्ञान में, वाणिज्य अध्ययन में स्नातक और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में) यदि वह VI सेमेस्टर पूरा करने के बाद बाहर निकलता है, तो उसे अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रम के उस क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. यदि कोई छात्र अनुसंधान के साथ चार साल की ऑनर्स डिग्री हासिल करना चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से VI सेमेस्टर या VII सेमेस्टर में GE के रूप में रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स का विकल्प चुनना होगा।

8. चौथे वर्ष में निबंध/शैक्षणिक परियोजना/उद्यमिता VII सेमेस्टर से शुरू होगी और VIII सेमेस्टर में समाप्त होगी। इन तीन विकल्पों में से चुने गए प्रत्येक ट्रैक के विस्तृत परिणामों को अधिसूचित किया जाएगा और तदनुसार VII और VIII सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा।

9. निबंध मेजर या माइनर या इंटरडिसिप्लिनरी (मेजर और माइनर का संयोजन) अनुशासन में लिखा जा सकता है।

10. यदि उपरोक्त (6) में उल्लिखित छात्र बहुविषयक अध्ययन के क्षेत्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के लिए चौथे वर्ष में जारी रहता है या फिर से प्रवेश करता है, तो उसे मुख्य पाठ्यक्रमों के रूप में अध्ययन किए गए विषयों में से केवल एक को चुनना होगा। पिछले छह सेमेस्टर में अध्ययन और VII और VIII सेमेस्टर में उस चुने हुए अनुशासन के 2DSCs और 6DSE से क्रेडिट अर्जित करें और शोध प्रबंध लिखें या अकादमिक परियोजना या उद्यमिता का विकल्प चुनें।

11. यदि उपरोक्त (5) में उल्लिखित कोई छात्र एक ही विषय में VII और VIII सेमेस्टर का अध्ययन जारी रखता है या फिर से प्रवेश करता है, और ऊपर (9) में वर्णित शोध प्रबंध लिखता है, लेकिन कोई मामूली अनुशासन नहीं बनाया जाता है (यानी, क्रेडिट किसी एक विषय के जीई में अर्जित 28 क्रेडिट से कम है), तो उसे आठवीं सेमेस्टर के सफल समापन पर उस विषय में मेजर के साथ 'ऑनर्स विद रिसर्च' से सम्मानित किया जाएगा।

12. ऊपर (6) में उल्लिखित एक छात्र को आठवीं सेमेस्टर के सफल समापन पर बहु-विषयक अध्ययन के उस क्षेत्र में 'ऑनर्स' की डिग्री प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी, बी.एससी. (ऑनर्स) लाइफ साइंसेज, बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान, बी.एससी. (ऑनर्स) मैथमेटिकल साइंसेज और बैचलर इन कॉमर्स स्टडीज (ऑनर्स) मेजर और माइनर को क्रमशः III(2)(b) और III(3)(b) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर दर्शाया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो चार साल बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी के साथ मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में सामाजिक विज्ञान / मानविकी में, आठवीं सेमेस्टर के सफल समापन पर इतिहास में मेजर मिलेगा, यदि वह 8 डीएससी और कम से कम 9 डीएसई से इतिहास में न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करता है। इतिहास का और इतिहास से संबंधित विषय पर शोध प्रबंध लिखता है। ऐसे छात्र को राजनीति विज्ञान / हिंदी में नाबालिग मिलेगा, यदि वह 6 डीएससी और राजनीति विज्ञान / हिंदी के एक डीएसई से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है।

13. केवल ऊपर (5) में उल्लिखित एक छात्र, जो चौथे वर्ष में VII और VIII सेमेस्टर में मेजर / माइनर विषय में एक शोध प्रबंध लिखने का विकल्प चुनता है, उसे 'बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी/डिसिप्लिन (ऑनर्स विद रिसर्च)' से सम्मानित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो बी.एससी. (ऑनर्स) फिजिक्स में और सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में फिजिक्स या माइनर से संबंधित विषय पर एक शोध प्रबंध लिखते हैं, उन्हें 'बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स विद रिसर्च) फिजिक्स' से सम्मानित किया जाएगा। मेजर और माइनर को क्रमशः III(2)(a) और III(3)(a) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर दर्शाया जाएगा।

14. एक छात्र जो शोध प्रबंध लिखने के बजाय सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में 'अकादमिक परियोजना' या 'उद्यमिता' का विकल्प चुनता है, और प्रासंगिक जीई, एसईसी, एईसी और आईएपीसी में 28 क्रेडिट अर्जित करता है, उसे अकादमिक परियोजना में माइनर या उद्यमिता से सम्मानित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। अनुशासन (मेजर) और अकादमिक परियोजना / उद्यमिता (मामूली) में अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र (अकादमिक परियोजना / उद्यमिता के साथ सम्मान) के स्नातक में यदि वह अपेक्षित 28 क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ है, तो उसे डिसिप्लिन (मेजर) में 'बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी/डिसिप्लिन (ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट/उद्यमिता) से सम्मानित किया जाएगा।

15. चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम करने वाले छात्र को आठवें सेमेस्टर के पूरा होने के बाद एक उपयुक्त डिग्री प्रदान की जाएगी।

16. बाहर निकलने के विकल्प: प्रति सेमेस्टर एक छात्र द्वारा अर्जित किया जाने वाला न्यूनतम क्रेडिट 18 क्रेडिट है और अधिकतम 26 क्रेडिट है। हालांकि, छात्रों को प्रति सेमेस्टर 22 क्रेडिट अर्जित करने की सलाह दी जाती है। यह प्रावधान छात्रों को सेमेस्टर वार शैक्षणिक भार के लचीलेपन की सुविधा प्रदान करने और अपनी गति से सीखने के लिए है। हालांकि, एक छात्र को, जो सम सेमेस्टर के अंत में बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में स्नातक प्रमाणपत्र / स्नातक डिप्लोमा / उपयुक्त स्नातक की डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से क्रेडिट की अनिवार्य संख्या को सुरक्षित किया जाना है (विवरण प्रदान किया गया है नीचे दी गई तालिका में)।

क्रम संख्या	पुरस्कार का प्रकार	बाहर निकलने का चरण	पुरस्कार के लिए अनिवार्य क्रेडिट सुरक्षित किया जाना है
1	अध्ययन/अनुशासन के क्षेत्र में स्नातक प्रमाणपत्र	सेमेस्टर II के सफल समापन के बाद	44
2	अध्ययन/अनुशासन के क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा	सेमेस्टर IV के सफल समापन के बाद	88
3	बैचलर ऑफ *(फील्ड ऑफ स्टडी) (ऑनर्स)* डिसिप्लिन *(सिंगल कोर डिसिप्लिन कोर्स ऑफ स्टडी के लिए)*	सेमेस्टर VI के सफल समापन के बाद	132
4	स्नातक *(अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का क्षेत्र) (अध्ययन के कई प्रमुख विषयों के पाठ्यक्रम के लिए)*	सेमेस्टर VI के सफल समापन के बाद	132
5	स्नातक *(अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र) (अनुसंधान / शैक्षणिक परियोजनाओं / उद्यमिता के साथ सम्मान) अनुशासन (अध्ययन के एकल कोर अनुशासन पाठ्यक्रम के लिए)*	सेमेस्टर VII के सफल समापन के बाद	176
6	स्नातक *(अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का क्षेत्र) (ऑनर्स)*	सेमेस्टर VII के सफल समापन के बाद	176

17. पाठ्यक्रम कोड, क्रेडिट की संख्या, व्याख्यान के घटक, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक, उस पाठ्यक्रम को चुनने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए और पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले विभाग को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए लिखा जाएगा। एक छात्र को अध्ययन के लिए इसे चुनने में सक्षम होने के लिए पाठ्यक्रम की पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें https://centenary.du.ac.in/?Documents-Documentaries/UGCF-2022-NEP-2020#

आरक्षण और छूट नीतियां

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

कुल सीटों का 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, यदि आवश्यक हो तो अदला-बदली)।
पंजीकरण और प्रवेश के समय उम्मीदवार के पास अपने नाम पर जाति / जनजाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए:

उसकी जाति / जनजाति का नाम
क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है
जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थान, और
उपयुक्त भारत सरकार की अनुसूची जिसके तहत उसकी जाति / जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदित किया गया है।

प्रवेश के समय उम्मीदवार को वैध मूल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जाति / जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित को अपेक्षित एससी / एसटी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है:

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर. डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त। मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

उम्मीदवार ध्यान दें कि किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति / प्राधिकरण से एससी / एसटी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार एससी या एसटी से संबंधित होता है, तो उम्मीदवार की जाति / जनजाति को उपयुक्त भारत सरकार अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना कॉलेज की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

कॉलेज किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को शिक्षा के माध्यम के आधार पर प्रवेश से मना नहीं करेगा। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को दूर किया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करके महाविद्यालय द्वारा उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी, नॉन-क्रीमी लेयर, सेंट्रल लिस्ट) के लिए सीटों का आरक्षण

27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी - नॉन-क्रीमी लेयर, सेंट्रल लिस्ट) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

ओबीसी उम्मीदवार को प्रवेश देते समय, कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल है (ओबीसी की स्थिति केंद्रीय (भारत सरकार) ओबीसी की अधिसूचित सूची के आधार पर निर्धारित की जानी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा (वेबसाइट http://ncbc.nic.in/backward Classes/index.html पर उपलब्ध है।)
प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की गैर-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी) दिनांक 15.11.1993 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा जारी गैर- क्रीमी लेयर की स्थिति)।

ओबीसी उम्मीदवार जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है केवल, ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्थापना के अनुसार उम्मीदवारों की 'गैर-क्रीमी लेयर' स्थिति के संबंध में ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि - I) दिनांक 31 मार्च 2016)। प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।

ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेज की ओर से यह एक वैधानिक दायित्व है।
ओबीसी उम्मीदवार जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है, वे ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे ('नॉन-क्रीमी लेयर' के संबंध में ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि) डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्थापना (Res- I) दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर ' प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।
ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेज की ओर से यह एक वैधानिक दायित्व है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सीटों का आरक्षण

दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, संदर्भ संख्या ACA.I / EWS का आरक्षण / 2019/63 दिनांक 28 मार्च 2019 और संदर्भ संख्या ACA.I /ईडब्ल्यूएस का आरक्षण/2019/101 दिनांक 15 मार्च 2019, और संदर्भ संख्या ACA.I/EWS का आरक्षण/2019/101 दिनांक 15 मई 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) श्रेणी के लिए आरक्षण के लिए, विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों/कॉलेजों ने प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की हैं।

सुपरन्यूमेरी सीटों में प्रवेश

सभी सुपरन्यूमेरी सीटों पर प्रवेश CUET 2022 के माध्यम से होगा। सुपरन्यूमेरी सीटों पर प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।

श्रेणी	
पीडब्ल्यूबीडी	बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति
सीडब्ल्यू	पैरा-मिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चे/
ईसीए	अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों
खेल	खेल
के म	कश्मीरी प्रवासी
पीएमएसएस	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री की विशेष छात्रवृत्ति
एसएस	मनोनीत सिक्किमी छात्र
डब्ल्यू कउए (WQ)	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वार्ड कोटा

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पीडब्ल्यूडी)

- शारीरिक दिव्यांगता

- लोकोमोटर दिव्यांगता (एक व्यक्ति की स्वयं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता और मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप वस्तुओं), जिसमें शामिल हैं -
- "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन पीड़ित है-

- हाथों या पैरों में सनसनी का नुकसान और साथ ही आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस का नुकसान लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;

- प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें;

- अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उन्नत आयु जो उसे कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ ठीक" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

- "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;
- "बौनापन" का अर्थ आनुवंशिक स्थिति की एक चिकित्सा है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम की वयस्क ऊंचाई होती है;

- "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;

- "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

दृष्टि क्षीणता

- "अंधापन" का अर्थ उस स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति है, सर्वोत्तम सुधार के बाद दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/100 से कम (स्नेलन) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण को घटाना।

- "कम दृष्टि" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति होती है। अर्थात्:- दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/100 (स्नेलन) तक बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना।

श्रवण बाधित

- "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति; "सुनने में कठिन" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि है;

बौद्धिक अक्षमता

बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखने, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता वाली स्थिति जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं-

- "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" का अर्थ परिस्थितियों का एक विषम समूह है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें शामिल हैं अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्केकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां;

"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

मानसिक व्यवहार

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो गिरफ्तार होने या किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता है ।

दिव्यांगता के कारण पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे-

- "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक भड़काऊ, तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कार्ड के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के आसपास माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं के साथ संचार करने की क्षमता प्रभावित होती है ;

- "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है कंपकंपी, पेशीय कठोरता, और धीमी, अचूक गति द्वारा चिह्नित तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध: पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है। .

रक्त विकार

- "हीमोफिलिया" का अर्थ एक अंतर्निहित बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की सामान्य थक्का जमने की क्षमता के नुकसान की विशेषता होती है, जिससे एक नाबालिग के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है।

- "थैलेसीमिया" का अर्थ विरासत में मिली बीमारी का एक समूह है, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों को प्रेषित किया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

- "सिकल सेल रोग" क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं, और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं द्वारा एक हेमोलिटिक विकार चरित्र को दर्शाता है; "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन की रिहाई होती है।

बहरा अंधापन सहित बहु-दिव्यांगताएं (उपर्युक्त निर्दिष्ट अक्षमताओं में से एक से अधिक) जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को सुनने और देखने की अक्षमताओं का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी।

दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के संबंध में रियायती/शुल्क की छूट

1.विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों और संस्थानों / कॉलेजों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की सदस्यता के अलावा परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क सहित शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। संघ और पहचान पत्र शुल्क (विश्वविद्यालय के अध्यादेश X(4) में संशोधन के अनुसार)।

2. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी के लिए योग्यता को पूरा करते हैं और अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) में प्रवेश लेंगे, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करेंगे।

3.कार्यकारी परिषद संकल्प संख्या 50 दिनांक 03.11.2012 के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों / हॉल में रहने वाले शारीरिक विकलांग छात्रों को वापसी योग्य सावधानी शुल्क और मेस शुल्क को छोड़कर सभी छात्रावास शुल्क और शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो छात्र हैं, उन्हें मेस शुल्क का 50% भुगतान करना होगा और शेष 50% मेस शुल्क का भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। कॉलेजों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पीडब्ल्यूबीडी छात्रों के संबंध में कॉलेजों द्वारा इसी तरह के मानदंड अपनाए जाने हैं।

4.फेलोशिप/वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पीडब्ल्यूबीडी छात्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क/काम/मैसे भुगतान के भुगतान से संबंधित।

फैलोशिप का मूल्य	**फीस माफी आदि की छूट**
3000/- प्रति माह तक	**फीस माफी +50% मेस सब्सिडी**
3001/- से 8000/- प्रति माह	**फीस माफ लेकिन मेस सब्सिडी नहीं**
8001/- और अधिक प्रति माह	**कोई शुल्क छूट नहीं और कोई छात्रावास सब्सिडी नहीं**

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण (CW)

सभी कॉलेजों में कार्यक्रम-वार इस श्रेणी के तहत उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं। विश्वविद्यालय के सीडब्ल्यू कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को सीयूईटी 2022 में उपस्थित होना होगा। ऐसे सभ उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र को उचित लेटरहेड प अपलोड करना होगाः

(ए) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।
(बी) सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।
(ग) प्रभारी अधिकारी, अभिलेख कार्यालय।
(डी) प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट।
(ई) गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए)

किसी अन्य प्रारूप की अनुमति नहीं होगी। माता-पिता या आश्रित के आईडी कार्ड, मेडिकल कार्ड, राशन कार्ड, सीएसडी कार्ड आदि के रूप में सीडब्ल्यू श्रेणी के प्रमाण सही प्रारूप में प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वीकार्य नहीं हैं। प्रमाण पत्र में प्राथमिकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करने वाले प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अर्धसैनिक कर्मियों (केवल प्राथमिकता I से V) सहित सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों / विधवाओं (नौ को प्राथमिकता) के लिए वरीयता के निम्नलिखित क्रम में प्रवेश की पेशकश की जा सकती हैः

प्राथमिकता I	**कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/बच्चे;**
प्राथमिकता II	रक्षा कर्मियों के बच्चे कार्रवाई में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ सेवा से बाहर हो गए
प्राथमिकता III	सैन्य सेवा के कारण मृत्यु के साथ सेवा में रहते हुए मरने वाले रक्षा कर्मियों की विधवाएं/वाईस;
प्राथमिकता IV	रक्षा कर्मियों के बच्चे सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ बोर्ड से बाहर हो गए;
प्राथमिकता V	वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कर्मियों के बच्चे। i) परमवीर चक्र ii) अशोक चक्र iii) महावीर चक्र lv) कीर्ति चक्र v) वीर चक्र vi) शौर्य चक्र vii) शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/अग्निशमन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक viii) सेना पदक (वीरता)। नौ सेना पदक (वीरता)। वायु सेना पदक (वीरता) ix) मेंशन-इन-डिस्पैच x) शौर्य के लिए पुलिस पदक/अग्निशमन सेवाओं के लिए वीरता पदक
प्राथमिकता VI	भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे
प्राथमिकता VII	पत्नियां: i. रक्षा कर्मी कार्रवाई में अक्षम और सेवा से बाहर हो गए। ii. रक्षा कर्मी सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ बोर्ड से बाहर हो गए iii. वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी
प्राथमिकता VIII	सेवारत कार्मिकों के वार्ड
प्राथमिकता IX	सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ

कश्मीरी प्रवासियों का पंजीकरण

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए सभी कॉलेजों में 5% तक सीटें आरक्षित हैं। कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार 5% तक सीटें आरक्षित हैं। कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को संभागीय आयुक्त/राहत आयुक्त द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
कश्मीरी प्रवासियों कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।

जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।

सिक्किम के छात्रों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम नामांकन योजना के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।
सिक्किम सरकार द्वारा नामित सिक्किमी छात्रों को उन कॉलेजों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है (एसी संकल्प 51 दिनांक 05/06/1980 और 122 दिनांक 17/12/1990)। सिक्किम के छात्रों का प्रवेश के साथ-साथ संबंधित कॉलेजों में छात्रावास के आवास के लिए आवंटन कुलपति द्वारा अपने विवेक पर किया जाएगा।

इन मनोनीत सीटों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

कार्यक्रम	सीटों की संख्या
बी० ए० कार्यक्रम	3
बी० ए० (ऑनर्स)	1
बी कॉम (ऑनर्स)	2
बी.कॉम.	4
बीएससी भौतिक विज्ञान / अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान	2
बीएससी जीवन विज्ञान / अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान	2

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वार्ड कोटा

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वार्ड कोटा के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा। विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों, शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों में प्रवेश अकादमिक परिषद के संकल्प 9 ए और बी दिनांक 27.11.2020 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार किया जाएगा। पंजीकरण के समय उम्मीदवारों के पास उचित अधिकारियों द्वारा जारी वैध रोजगार प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंजीकरण के समय अपलोड किए गए रोजगार प्रमाण पत्र पर ही विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड और/या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पाठ्येतर गतिविधियां (ईसीए) और खेल कोटा

ECA और/या स्पोर्ट्स के लिए सुपरन्यूमेरी कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा। ईसीए और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी सीटों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर को 25% और प्रमाण पत्र / परीक्षण / प्रदर्शन के लिए 75% वेटेज दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया डीयू की वेबसाइट www.du.ac.in देखें।

महत्वपूर्ण नोट: जिस कार्यक्रम में उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाता है उसका नामकरण अंडर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ- 2022) के कार्यान्वयन के आलोक में बदल सकता है।

निकासी

एक छात्र, जो कॉलेज छोड़ना चाहता है, उसे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर और संलग्न निर्धारित फॉर्म में प्रधानाचार्य को आवेदन करना होगा और आवेदन को उसके पिता / माता / अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। एक छात्र का नाम औपचारिक रूप से वापस लिए जाने तक सभी फीस, जुर्माना और अन्य कॉलेज बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह की औपचारिक वापसी के बिना स्कूल छोड़ने वाले छात्र से तब तक शुल्क आदि लिया जाएगा, जब तक कि उसका नाम काट नहीं दिया जाता। यदि वह देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसकी सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और उसके शुल्क खाते में समायोजित कर लिया जाएगा।

शुल्क वापसी के नियम

- कॉलेज अपने पोर्टल पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित चरणों का पालन करेगा।
- फीस की वापसी के लिए अपनाए जाने वाले चरणों के लिए कृपया विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर जाएं।

कैद

प्रधानाचार्य के पास किसी भी कक्षा में एक छात्र को हिरासत में लेने या संबंधित विश्वविद्यालय नियम (58 संदर्भ, एसी संख्या 78 दिनांक 15-7-60 और संख्या 269, दिनांक 8-12-60) के तहत विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए भेजे जाने से रोकने की शक्ति है।

पहचान सह पुस्तकालय कार्ड / बस पास

कॉलेज में प्रवेश के बाद प्रत्येक छात्र को एक पहचान सह पुस्तकालय कार्ड जारी किया जाएगा। उन्हें इसे कॉलेज परिसर में पहनना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्र के कॉलेज छोड़ने पर कार्ड वापस करना होगा।
पहचान पत्र और बस पास के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए कृपया कार्यालय में अपने पाठ्यक्रम सहायक से संपर्क करें।

स्मोक फ्री जोन

दिल्ली विश्वविद्यालय तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में भागीदारी कर रहा है। उसी दिशा में एक कदम के रूप में दयाल सिंह कॉलेज में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दयाल सिंह कॉलेज को "तंबाकू मुक्त क्षेत्र" मॉडल के रूप में बनाने की दिशा में सभी छात्रों से सख्ती से काम लेने की अपेक्षा की जाती है।

रैगिंग विरोधी उपक्रमः

सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, यूजीसी ने "उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर विनियम, 2009" और संगठन के अनुपालन में अधिसूचित किया। 2"डी यूजीसी विनियमों में संशोधन, प्रत्येक छात्र और उसके माता-पिता/अभिभावक के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो नामित वेब साइटों, www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक पर एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य है।

अपने हितधारकों के अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में यूजीसी की पहल के हिस्से के रूप में, यूजीसी ने छात्रों के लिए ऑनलाइन एंटी रैगिंग हलफनामा दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है। संशोधित प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1: एक छात्र अपना विवरण उसी वेब साइट (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) पर पहले की तरह जमा करेगा; पढ़ें और पुष्टि करें कि उसने और उसके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए नियमों को पढ़ और समझ लिया है। वह पुष्टि करेगा और सहमत होगा कि वह किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होगा। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: छात्र को उसकी पंजीकरण संख्या और वेबलिंक के साथ एक ई मेल प्राप्त होगा। छात्र अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि छात्र को पीडीएफ हलफनामा प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी किसी भी अग्रेषित ई-मेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो उन्हें अपने कॉलेज के किसी भी छात्र से प्राप्त होगा, उन छात्रों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने एंटी रैगिंग हलफनामे/उपक्रम जमा किए हैं। उसके कॉलेज में। सूची हर 24 घंटे में अपडेट की जाएगी।

आचार संहिता

करने योग्य

1. नियमित रूप से और समय पर कक्षाओं में भाग लें
2. कक्षाओं में अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें
3. कॉलेज परिसर को साफ रखें
4. कॉलेज के गलियारों / कक्षाओं / पुस्तकालय में मौन रखें
5. केवल खेल के मैदान में खेलें
6. केवल कूड़ेदान में अपशिष्ट पदार्थ फेंक दें
7. पानी पीने के बाद नल बंद कर दें
8. शौचालय में उपयोग के बाद नल बंद कर दें
9. शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद रखें
10. स्वच्छ भारत अभियान / वृक्षारोपण अभियान और ऐसे अन्य गतिविधियां में भाग लें
11. अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग व्यक्ति के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का सम्मान करें
12. उपयोग में न होने पर कक्षाओं में पंखे / लाइट बंद कर दें
13. आपदा की स्थिति में उन लोगों की सहायता करने के लिए स्वयंसेवक सहायता
14. संबंधित शिक्षकों को नियत समय पर असाइनमेंट/प्रोजेक्ट जमा करें
15. चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति के दिनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र कॉलेज को फिर से शुरू करने के 07 दिनों के भीतर जमा करें
16. भागीदारी के समर्थन में प्रमाण पत्र जमा करें खेल/एनसीसी/एनएसएस/ईसीए में संबंधित शिक्षक द्वारा अनुशंसित
17. कॉलेज परिसर में अपना आई-कार्ड पहनें। इसे कॉलेज में प्रवेश के समय सुरक्षा गार्ड को दिखाना होगा।
18. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि या किसी संदिग्ध वस्तु की उपस्थिति की सूचना सुरक्षा गार्ड/ प्रधानाचार्य/प्रशासनिक अधिकारी को दें।
19. कोर्स विशिष्ट डीलिंग विंडो पर अपना काम करते हुए कतार में खड़े हों (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग)।
20. कक्षाओं में ठीक से बैठें
21. सभी के साथ विनम्रता से बात करें
22. नियमित रूप से कॉलेज की वेबसाइट / नोटिस बोर्ड पर जाएँ
23. अपनी बाइक को पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करें
24 अधिसूचित अनुसूची के अनुसार फॉर्म/शुल्क/अन्य देय राशि जमा करें।
25. नियत तारीख के अनुसार पुस्तकालय की किताबें/लैपटॉप लौटाएं
26. अपने निजी पासवर्ड से वाईफाई का प्रयोग करें
27. अपने पासवर्ड का प्रयोग अपने मोबाइल/लैपटॉप में ही करें।

बिल्कुल ना करें

1. कॉलेज के गलियारों में भीड़ न लगाएं
2. कॉलेज के गलियारों में मोबाइल फोन पर जोर से बात न करें
3. कॉलेज की संपत्ति को नष्ट न करें
4. कक्षाओं/गलियारों की दीवारों को खराब न करें
5. रेलिंग/पैरापेट पर न बैठें
6 वॉशरूम के फर्श पर पानी न गिराएं
7. वॉशरूम में नल/दर्पण/कुंड को नुकसान न पहुंचाएं
8. कॉलेज परिसर के अंदर या बाहर किसी के खिलाफ शारीरिक बल का प्रयोग न करें
9. कोई हथियार न रखें
10. क्या करें मौखिक रूप से या अन्यथा किसी भी गतिविधि का अभ्यास न करें जो उत्तर पूर्व की महिलाओं और छात्रों के लिए अपमानजनक हो
11. धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना पैदा न करें
12. किसी को रिश्वत देने का प्रयास न करें
13. कॉलेज के शैक्षणिक कामकाज में व्यवधान पैदा न करें
14. रैगिंग/शोषण में शामिल न हों
15. अभद्र भाषा/आक्रामकता/अशोभनीय हावभाव/अश्लील व्यवहार का प्रयोग न करें
16. शराब/धूम्रपान/नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त न हों
17. कॉलेज परिसर के अंदर चार पहिया वाहन न लाएं
18. कॉलेज परिसर में दो पहिया वाहनों के हॉर्न का उपयोग न करें
19. अपनी बाइक को मुख्य कॉलेज लॉबी के सामने पार्क न करें
20. अपना वाईफाई पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें
21. कॉलेज परिसर के भीतर सोशल नेट वर्किंग साइट्स ब्राउज़ न करें
22. ऐसा न करें महाविद्यालय द्वारा जारी लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करें।

नियम

अध्यादेश VII (2) -उपस्थिति नियम

सेमेस्टर I / III / V परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने सभी विषयों को एक साथ शामिल नहीं किया है, व्याख्यान / व्यावहारिक / प्रस्तुतियों के कम से कम दो तिहाई भाग में भाग नहीं लिया है। भाग लेने के लिए आवश्यक ट्यूटोरियल बशर्ते कि सेमेस्टर I / III / V का एक छात्र जो उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, जैसा कि ऊपर दिया गया है, लेकिन सभी विषयों में एक साथ भाग लिया है, कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान / संबंधित सेमेस्टर के दौरान व्यावहारिक / प्रस्तुतियाँ, संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं; लेकिन ऐसे उम्मीदवार को उसी शैक्षणिक वर्ष के अगले सेमेस्टर में व्याख्यान और प्रायोगिक में कमी को पूरा करना होगा।

बशर्ते कि द्वितीय/चतुर्थ/छठी सेमेस्टर का एक छात्र जो उपरोक्त के रूप में उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन एक साथ सभी विषयों में भाग लिया है, कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान/व्यावहारिक/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल, संबंधित सेमेस्टर के दौरान आयोजित, संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर, आगामी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह आगामी सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर की उपस्थिति को मिलाकर उक्त उपस्थिति की कमी को पूरा करता है।

परन्तु यह और कि संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य किसी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं, भले ही छात्र ने उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया हो, यदि प्राचार्य की राय में, ऐसा छात्र आगामी शैक्षणिक वर्ष में कमी को पूरा करेगा। बशर्ते यह भी कि द्वितीय/चतुर्थ/छठे सेमेस्टर के छात्र को द्वितीय/चतुर्थ/छठी सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, यदि एक/दो/तीन शैक्षणिक वर्षों की उपस्थिति को मामला हो सकता है, उम्मीदवार ने संबंधित वर्षों के दौरान आयोजित सभी विषयों में दो-तिहाई उपस्थिति दर्ज की हो।

- एक छात्र के मामले में जिसे वार्षिक एन.सी.सी में भाग लेने के लिए एन.सी.सी. के सदस्य के रूप में चुना गया है। शिविर या नागरिक सुरक्षा कार्य और संबद्ध कर्तव्यों को पूरा करने के लिए या एक छात्र के मामले में जो राष्ट्रीय सेवा योजना में नामांकित है और संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य / प्रमुख के अनुमोदन से या विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त है या ए छात्र जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा आयोजित खेल या अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खेल और खेल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय फिक्स्चर में भाग लेने के लिए चुना जाता है या एक छात्र जिसे इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है, या एक छात्र जिसे प्रादेशिक सेना में समय-समय पर प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता होती है या एक छात्र जिसे कॉलेज द्वारा इंटर कॉलेज के खेल या जुड़नार, वाद-विवाद, सेमिनार, संगोष्ठी या सामाजिक कार्य परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है या एक छात्र जिसे पाठ्यचर्या गतिविधियों की आवश्यकता होती है अन्य विश्वविद्यालयों में या इस उद्देश्य के लिए प्रधानाचार्य/कुलपति द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य गतिविधियों में आयोजित। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उसके पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान आदि की कुल संख्या की गणना में, अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दिए गए प्रत्येक विषय में व्याख्यान आदि की संख्या। और जैसा कि उस प्रयोजन के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा अनुमोदित किया गया है, छात्र द्वारा भाग लिया गया माना जाएगा।

- कॉलेज के प्राचार्य प्रस्तुत किए गए मेडिकल प्रमाणपत्रों के आधार पर उन छात्रों के असाधारण कठिन मामलों पर विचार कर सकते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए थे या वर्ष के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिससे उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए कक्षाओं में भाग लेने से अक्षम कर दिया गया था। यह निर्धारित करना कि क्या उक्त अवधि के दौरान दिए गए व्याख्यान आदि को या उसके किसी भाग को वर्ष की उपस्थिति की गणना के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा जा सकता है और प्रत्येक मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर तय किया जा सकता है।

- कॉलेजों को प्रत्येक माह के लिए अपने प्रत्येक छात्र की उपस्थिति की स्थिति को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर सूचित करना होगा, और स्पष्ट रूप से व्याख्यान/व्यावहारिक होल्ड विषयवार और प्रत्येक छात्र द्वारा भाग लेने की संख्या का संकेत देना होगा।

- एक कॉलेज नोटिस बोर्ड पर शैक्षणिक वर्ष के अंतिम सत्र में कक्षाओं के फैलाव के पांच दिनों के भीतर अपने प्रत्येक छात्र की अंतिम उपस्थिति की स्थिति को सूचित करेगा, उसके बाद पांच दिनों के बाद, एक छात्र, द्वारा और आवेदन कर सकता है महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्त उपखंड (ए) के तहत व्याख्यानों के बहिष्कार के लाभ का दावा करते हैं जो निर्दिष्ट किए जाने के आधार पर और संबंधित दस्तावेजों के साथ होते हैं। समय के भीतर जमा किए गए ऐसे सभी आवेदनों पर कॉलेज के प्राचार्य द्वारा विचार किया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से कम से कम 3 दिन पहले निपटाया जाएगा, जिसमें छात्र उपस्थित होने का इरादा रखता है।

- उपरोक्त पैरा 'सी' में दिए गए व्याख्यानों के बहिष्कार का लाभ किसी भी स्थिति में दिए गए व्याख्यानों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा

- एक विवाहित महिला छात्र के मामले में जिसे मातृ अवकाश दिया गया है, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यानों की कुल संख्या की गणना में जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सेमेस्टर में उसके अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए, उसके मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान दिए गए प्रत्येक विषय में व्याख्यान की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

- किसी भी व्यक्ति को उसके निर्देशों के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं माना जाएगा, जब तक कि उपस्थिति और अन्य शर्तों के संबंध में आवश्यकताओं के अलावा, वह कॉलेज के प्राचार्य द्वारा लिखित और / या इस तरह की परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता है। मौखिक, जैसा कि उसके द्वारा अपने विवेक से आयोजित किया जा सकता है। कॉलेज के प्राचार्य के पास एक छात्र को उसी कक्षा में रखने की शक्ति होगी जिसमें वह पढ़ रहा है, या उसे विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए नहीं भेजने की स्थिति में, यदि वह उपस्थित नहीं होता है, तो उसे हमेशा माना जाएगा। पूर्वोक्त परीक्षणों में या उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। किसी कॉलेज के प्राचार्य/संस्था के प्रमुख को चेतावनी के बावजूद उपस्थिति में घोर अनियमितता करने वाले छात्र का नाम काट देने की शक्ति होगी, या जब छात्र की अनुपस्थिति का प्रतिशत इतनी लंबी अवधि के लिए हो कि वह अपेक्षित में नहीं डाल सकता है।

अध्यादेश आठवीं (2)

नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र बनने के लिए सीबीसीएस के तहत तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी छात्रों के लिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने की अवधि पहले सेमेस्टर में प्रवेश के वर्ष से 6 वर्ष होगी, भले ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के बावजूद छात्र ने सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया हो। अधिक विवरण https://www.dsc.du.ac.in/wp-content/uploads/2022/02/ORDINANCES.pdf पर देखें।

अध्यादेश XA- परीक्षा में अनुचित और उच्छृंखल आचरण

- परीक्षा में बेईमानी या अनुचित साधन का प्रयोग शामिल है।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का उत्तर देने में किसी भी अन्य उम्मीदवार की किसी भी तरह से सहायता करना:
- किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य उम्मीदवार से या किसी पुस्तक से सहायता लेना। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का उत्तर देने में कागज, नोट या अन्य सामग्री।
- परीक्षा के संबंध में किसी भी पुस्तक, कागज, नोट्स, या अन्य सामग्री को परीक्षा कक्ष में ले जाना, जो परीक्षा के संबंध में उम्मीदवार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने की संभावना है।
- निरंतरता पत्रक की उत्तरपुस्तिका में तस्करी।
- उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ या निरंतरता पत्रक को बाहर निकालना या भेजने की व्यवस्था करना।
- परीक्षा के दौरान या बाद में उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ या निरंतरता पत्रक को बदलना या बदलना।
- परीक्षा में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपित होना।
- जानबूझकर किसी की पहचान का खुलासा करना या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में कोई विशिष्ट चिह्न बनाना।
- पाठ्यक्रम या परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में या उसके आस-पास किसी अन्य उम्मीदवार या अनधिकृत व्यक्ति से बात करना या बात करना।
- सीधे या किसी रिश्तेदार, अभिभावक के माध्यम से संवाद करना या संवाद करने का प्रयास करना और एक परीक्षक के साथ अंक प्रदान करने में उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से खोजना।

- परीक्षा में अव्यवस्थित आचरण में शामिल हैं:
- परीक्षा के समय के पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में परीक्षा के संबंध में, अधीक्षक, ड्यूटी पर निरीक्षक या परीक्षा केंद्र पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ या परीक्षा केंद्र में या उसके आसपास किसी अन्य उम्मीदवार के साथ दुर्व्यवहार।
- आधे घंटे की समाप्ति से पहले या उत्तर पुस्तिका प्रभारी निरीक्षक को सौंपे बिना या उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा कक्ष से निकल जाना।
- निरंतरता पत्रक के लिए उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग को जानबूझकर फाड़ देना,
- परीक्षा में खलल डालना या बाधित करना।
- दूसरों को परीक्षा कक्ष छोड़ने या परीक्षा में खलल डालने या बाधित करने के लिए उकसाना।
- परीक्षा केंद्र में अपराध के किसी भी हथियार को ले जाना।
- उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी बेईमान या अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेगा या उच्छृंखल आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- परीक्षा में बेईमानी या अनुचित साधनों के प्रयोग या अव्यवस्थित आचरण का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवार को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार था, और इसके अलावा, विश्वविद्यालय की किसी भी भविष्य की परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। एक और अवधि बताई जाए या विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए और विश्वविद्यालय की किसी भी आगे की परीक्षा में प्रवेश के लिए एक योग्य और उचित व्यक्ति घोषित न किया जाए।

अध्यादेश XV-B छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच अनुशासन बनाए रखना

- अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित हैं।
- कुलपति सभी या ऐसी शक्तियों को, जो वह उचित समझे, प्रॉक्टर को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।
- अध्यादेश के तहत अनुशासन लागू करने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित को घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा:
- दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी संस्थान/विभाग के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के किसी भी सदस्य और किसी भी छात्र के खिलाफ शारीरिक हमला, या शारीरिक बल प्रयोग की धमकी
- किसी भी हथियार को ले जाना, इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन
- अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।
- कोई भी प्रथा-चाहे मौखिक हो या अन्यथा-महिलाओं के लिए अपमानजनक।
- किसी भी तरह से रिश्वत देने या भ्रष्टाचार करने का कोई भी प्रयास।
- संस्थागत संपत्ति का जानबूझकर विनाश।
- धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना या असहिष्णुता पैदा करना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना।

अध्यादेश XV-C के अनुसार रैगिंग का निषेध

- कॉलेज/विभाग या संस्थान के परिसर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी हिस्से के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन पर किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है।
- रैगिंग का कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्य या प्रथा घोर अनुशासनहीनता है और इस अध्यादेश के तहत निपटा जाएगा।
- अनुशासन बनाए रखने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करना जो उन्हें उचित लगे, कुलपति अपनी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं आदेश या निर्देश दें कि कोई भी छात्र-
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बेदखल होना; या
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज, विभाग या संस्थान में पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए; या
- रुपये की राशि के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
- एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा या परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है; या
- परीक्षा या परीक्षा में संबंधित छात्र या छात्रों का परिणाम रद्द कर दिया जाए।
- महाविद्यालयों के प्राचार्य, हॉल के प्रमुख, संकाय के डीन, विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुख, प्राचार्य, मुक्त शिक्षा स्कूल और पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने संबंधित कॉलेजों, संस्थानों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय में संकाय और शिक्षण विभाग जो संबंधित विभागों में संस्थानों, हॉल और शिक्षण के समुचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। वे अपने कॉलेज, संस्थानों या विभागों में ऐसे शिक्षकों के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, या अधिकार सौंप सकते हैं, जैसा कि वे इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।
- कुलपति और प्रॉक्टर की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियम बनाए जाएंगे।
- इन नियमों को, जहां आवश्यक हो, इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के प्राचार्यों, हॉल के प्रमुखों, संकायों के डीन और शिक्षण विभागों के प्रमुखों द्वारा पूरक किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इन नियमों की एक प्रति स्वयं को उपलब्ध कराए।

नोट: अध्यादेश XV-C के अनुसरण में कुलपति का आदेश:

जहां इस अध्यादेश के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा रैगिंग की घटना (ओं) की सूचना कुलपति को दी जाती है, रैगिंग में शामिल छात्रों को आदेश में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। रैगिंग की रिपोर्ट में शामिल गैर-छात्रों पर भारत के आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी; वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन प्राप्त करने से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपात्र हो जाएंगे। जिन छात्रों के विरुद्ध इस नोट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें नैसर्गिक न्याय के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए निर्णय के बाद सुनवाई दी जाएगी।
संकट में फंसे छात्र 'नेशनल एंटी रैगिंग' हेल्पलाइन *1800-180-5522* पर कॉल कर सकते हैं या *helpline@antiraging.in* पर ईमेल कर सकते हैं।

अध्यादेश XV-D कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण और उससे संबंधित मामलों के लिए एक अधिनियम।
जबकि यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या धारण करने के अधिकार का उल्लंघन होता है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय पर जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है।
और जबकि यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण और सम्मान के साथ काम करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन जैसे उपकरणों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं, जिसे 25 जून, 1993 को पुष्टि की गई है। भारत सरकार।
और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए उक्त कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान करना समीचीन है।

धारा 9 - यौन उत्पीड़न की शिकायत

- कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आंतरिक समिति को लिखित रूप में और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कर सकती है:
- बशर्ते कि जहां ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती है, पीठासीन अधिकारी या आंतरिक समिति का कोई सदस्य महिला को लिखित रूप में शिकायत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा:
- परन्तु यह और है कि आंतरिक समिति कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, समय सीमा को तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जो महिला को उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोकती थीं।

धारा 14 -झूठी या दुर्भावपूर्ण शिकायत और झूठे सबूत के लिए सजा.

1. जहां आंतरिक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप दुर्भावनापूर्ण है या पीड़ित महिला या शिकायत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने शिकायत को झूठा बता कर शिकायत की है या पीड़ित महिला या शिकायत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने शिकायत की है, कोई जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो वह नियोक्ता या जिला अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, महिला या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है जिसने उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अनुच्छेद 9 के अनुसार, उसके या उसके लिए लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या जहां ऐसा कोई सेवा नियम मौजूद नहीं है, इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि शिकायत को प्रमाणित करने या प्रदान करने में असमर्थता पर्याप्त सबूत के लिए इस धारा के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई को आकर्षित करने की
- आवश्यकता नहीं है: बशर्ते कि शिकायतकर्ता के कुछ हिस्सों पर दुर्भावनापूर्ण इरादे के अनुसार जांच के बाद स्थापित किए जाएंगे। किसी भी कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले, निर्धारित तरीके के अनुसार किया जाएगा.

- जहां आंतरिक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी गवाह ने झूठा साक्ष्य दिया है या कोई जाली या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वह गवाह के नियोक्ता या जिला अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है। उक्त गवाह पर लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या जहां इस तरह के सेवा नियम मौजूद नहीं हैं, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट http:indiacode.nic.in/acts-in-pdf/142013.pdf देखें।

यूजीसी अधिसूचना दिनांक 6.5.19 के अनुसार, शिकायत का अर्थ है एक पीड़ित छात्र द्वारा निम्नलिखित की रिपोर्ट में की गई शिकायत....

1. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुसार निर्धारित योग्यता के विपरीत प्रवेश.
2. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितता.
3. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश के लिए इंकार करना.
4. इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संस्था द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न करना।
5. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई सूचना प्रकाशित करना, जो असत्य या भ्रामक हो और तथ्यों पर आधारित न हो।
6. ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के उद्देश्य से किसी छात्र द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र या डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार या अन्य दस्तावेज के रूप में किसी भी दस्तावेज को रोकना या वापस करने से इंकार करना, ऐसे छात्र को प्रेरित या मजबूर करने के उद्देश्य से किसी भी पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में किसी भी शुल्क या शुल्क का भुगतान करें, जिसे ऐसे छात्र का पीछा करने का इरादा नहीं है.
7. संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करना.
8. विभिन्न श्रेणी के छात्रों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में संस्था या किसी कानून का उल्लंघन.
9. ऐसी संस्था की घोषित प्रवेश नीति के तहत या आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, के तहत किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता के भुगतान में देरी.
10. संस्था द्वारा परीक्षा के संचालन या परीक्षा या परिणामों की घोषणा में देरी संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में या आयोग द्वारा निर्धारित ऐसे कैलेंडर में निर्दिष्ट अनुसूची.
11. प्रोस्पेक्टस में निर्धारित छात्र सुविधाओं को प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफलता, या कानून के किसी भी प्रावधान के तहत संस्थान द्वारा विस्तारित किया जाना आवश्यक है.
12. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्था द्वारा अपनाए गए गैर-पारदर्शी या अनुचित व्यवहार.
13. प्रोस्पेक्टस में उल्लिखित समय के भीतर या आयोग द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले समय के भीतर प्रवेश वापस लेने वाले छात्र के कारण फीस की वापसी में देरी या इंकार करना.
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अल्पसंख्यक या विकलांग वर्ग के साथ कथित भेदभाव की शिकायतें.
15. व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करना जैसा कि प्रवेश के समय वादा किया गया था।
16. किसी छात्र का उत्पीड़न या प्रताड़ना, उत्पीड़न के मामलों के अलावा, जिसके खिलाफ वर्तमान में लागू किसी भी कानून के दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जानी है।

एक पीड़ित छात्र शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है।

पाठ्येतर गतिविधियां (ईसीए) और खेल कोटा

ECA और/या स्पोर्ट्स के लिए सुपरन्यूमेरी कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा। ईसीए और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी सीटों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर को 25% और प्रमाण पत्र / परीक्षण / प्रदर्शन के लिए 75% वेटेज दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया डीयू की वेबसाइट www.du.ac.in देखें।

महत्वपूर्ण नोट: जिस कार्यक्रम में एक उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाता है, उसका नामकरण अंडर-ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ- 2022) के कार्यान्वयन के आलोक में बदल सकता है।

खेल कोटा प्रवेश सीटें *(2022)*

कॉलेज का नाम	क्रम संख्या	श्रेणी	पद/प्रतिस्पर्धा/भार श्रेणी	पुरुष वर्ग में सीटों की संख्या	महिला वर्ग में सीटों की संख्या	प्रत्येक श्रेणी में सीटों की कुल संख्या
					1	04
	तीरंदाजी	काम्पाउंड	1	1	1	
		रीकर्व	1	1	Total women 02	
		100	0	1	01	
		एमटीआर	1	2		
		400	0	1	02	
		एमटीआर	1	0		
		100 एमटीआर	1	0		
		बाधाएं	1	0		
		400	1	1		
		एमटीआर	2	0	01	
		बाधाएं	1	1		
		डिस्कस थ्रो	1	1		
		भाला फेंक	1	0		
		हैमर	0	1		
		थ्रोरक्षक	1	0		
		केंद्र	1	0	01	
1		46 किलो	1	0		
2		से 49	1	1		
3		किलोग्राम	1	0		
4		52 किलो			Total	10

5 6 7 8 9 10 11	ऐथ्लेटिक्स बास्केटबाल मुक्केबाज़ी	54 किलो 56 किलो 60 किलो 64 किलो 69 किलोग्राम 81 किलोग्राम	1	0	**women05**	
		91 किलो प्लस				
	शतरंज क्रिकेट फ़ुटबॉल	ऑल राउण्डर स्ट्राइकर	1 4 2	1 0 0	1	
		दाहिना मध्य	1	0	**Total women 01**	**04**
	कबड्डी शूटिंग टेबल टेनिस बॉलीबॉल	बाएं मध्य डाट वापस गोलकीपर कॉर्नर रेडर 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पाइकर केंद्र अवरोधक सेटर	1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 **92+ kg**	0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1		
				Total men 07		
		महिलाओं के लिए मुक्केबाजी	**48 kg** **50 kg** **52 kg** **54 kg** **57 kg** **60 kg** **63 kg**		**01**	

		66 kg		**01**	
		70 kg		**01**	
		75 kg		**01**	
		81 kg			
		81+ kg			
			Total women 04		**TOTAL SEATS: 11**
5	शतरंज		**01**	**01**	
			Total men 01	**Total women 01**	**02**
6	क्रिकेट	हरफनमौला(ऑल राउंडर)	**4**		
		बल्लेबाज/बल्लेबाज			
		मध्यम तेज गेंदबाज			
		स्पिनर			
		विकेट कीपर			
			Total men 04		**04**
7	फ़ुटबॉल	स्ट्राइकर	**02**		
		दायां मध्य	**01**		
		बायां मध्य	**01**		
		डाट	**02**		
		पीछे	**01**		
		गोलकीपर	**01**		
			Total men 08		**08**
8	कबड्डी	कोना	**2**	**2**	
		ढकना			
		आक्रमण करनेवाला	**2**	**01**	
			Total men 04	**Total women 03**	**07**
9	शूटिंग	**10** माउंट एयर पिस्टल	**01**	**01**	
		10 माउंट एयर राइफल			
			Total men 01	**Total women 01**	**02**
10	टेबल टेनिस		**01**	**01**	
			Total men 01	**Total women 01**	**02**
11	वालीबाल	स्पाइकर	**01**	**02**	
	फ़ुटबॉल	केंद्र अवरोधक	**02**		
		सेटर	**01**	**01**	
		लिबेरो			
			Total men 04	**Total women 03**	**07**
		कुल सीटें			**61**

दयाल सिंह कॉलेज
खेल कोटा प्रवेश सीटें *(2022)*

क्रम संख्या	खेल का नाम	पुरुष	महिला	कुल
01	तीरंदाजी	02	02	04
02	ऐथ्लेटिक्स	05	05	10
03	बास्केटबाल	03	01	04
04	मुक्केबाज़ी	07	04	11
05	शतरंज	01	01	02
06	क्रिकेट	04	--	04
07	फ़ुटबॉल	08	--	08
08	कबड्डी	04	03	07
09	शूटिंग	01	01	02
10	टेबल टेनिस	01	01	02
11	बॉलीबॉल	04	03	07

ईसीए कोटा प्रवेश सीटें *(2022)*

नोट: ईसीए और खेल के प्रत्येक कॉलेजों के लिए (कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का) कम से कम 1% का प्रतिनिधित्व, ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए एक साथ कुल मिलाकर 5% की सीमा के अधीन (कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का) अनिवार्य हैं।

कॉलेज का नाम	श्रेणी	उप-श्रेणी	उप-श्रेणी	सीटों की संख्या
		कोड		
दयाल सिंह कॉलेज (एम)	रचनात्मक लेखन	1a.	रचनात्मक लेखन (हिंदी)	2
		1b.	रचनात्मक लेखन (अंग्रेज़ी)	2
		2a.	भारतीय शास्त्रीय	2
		2b.	भारतीय लोक	2
	नृत्य	2c.	वेस्टर्न	2
		2d	नृत्यकला	
	बहस	3a.	बहस (हिन्दी)	2
		3b.	बहस (अंग्रेजी)	2
		4a.	फोटोग्राफी	1

डिजिटल मीडिया	4b.	फिल्म बनाने	1	
	4c.	एनीमेशन		
ललित कला	5a.	चित्र और पेंटिंग	3	
	5b.	मूर्ति		
संगीत (वोकल)	6a.	भारतीय (शास्त्रीय और लाइट)	2	
	6b.	पश्चिमी (शास्त्रीय और प्रकाश)	2	
	7a. 7c.	तबला ढोलक	1	
	7d.	पखवाज		
	7e.	घटम		
संगीत (वाद्य: भारतीय)	7f.	हरमोनियम		
	7g.	भारतीय बांसुरी		
	7h.	सितार	1	
	7i.	भारतीय वायलिन		
	7j.	सरोद		
	7k.	संतूर		
	8a.	ड्रम		
	8b.	पश्चिमी बांसुरी		
संगीत (वाद्य: पश्चिमी)	8c.	सैक्सोफोन		
	8d.	गिटार (सीसा)		
	8e.	गिटार (बास)	1	
	8f.	पश्चिमी वायलिन		
	8g.	कीबोर्ड	1	
थिएटर	9	थिएटर	3	
प्रश्नोत्तरी	10	प्रश्नोत्तरी	2	
देवत्व *	11	देवत्व	1	
एनसीसी	12	एनसीसी	4	
एनएसएस	13	एनएसएस	3	
योग	14	योग	1	
			41	

अंतिम कट ऑफ प्रतिशत *2021-2022* दयाल सिंह कॉलेज

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	अनारक्षित (यू आर)	ओबीसी	एससी	एसटी	पीडब्ल्यूडी	ईडब्ल्यूएस	कश्मीरी माइग्रेंट
1	बी .कॉम (ऑनर्स.)	96	92	85.5	74.5	60	92.5	86
2	बीएससी (ऑनर्स.) जूलॉजी	92	91	84	82	60	91	82
3	बीएससी (ऑनर्स.) गणित	94.5	94	84	77	55	94.25	84.5
4	बीएससी (ऑनर्स.) कंप्यूटर साइंस	95.5	95	90.25	86.5	55	94.25	85.5
5	बीएससी (प्रोग.) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	86	83	72	58	42	84	76
6	बीएससी (प्रोग.) जीवन विज्ञान	90	85	76	70	50	86	80
7	बीएससी (प्रोग.) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	92	89	79	72	52	90	82
8	बी॰ ए॰ (ऑनर्स.) अर्थशास्त्र	97.5	93.5	87	82	65	94.5	87.5
9	बी॰ ए॰ (ऑनर्स.) अंग्रेजी	94	97	89	85	73	93	85.5
10	बी॰ ए॰(ऑनर्स.) इतिहास	94	90.5	87	85	65	92.5	84
11	बी॰ ए॰ (ऑनर्स.) पंजाबी	45	45	45	45	42	45	45
12	बी॰ ए॰(ऑनर्स.) संस्कृत	69	60	55	45	42	60	59
13	बी॰ ए॰(ऑनर्स.) उर्दू	64	45	50	45	42	50	54
14	बी॰ ए॰(ऑनर्स.) दर्शनशास्त्र	92	85	83	80	65	86	82
15	बी॰ ए॰(ऑनर्स.) हिंदी	83.5	75	75	65	60	80	73.5

16	बी॰ ए॰ (ऑनर्स.) राजनीति विज्ञान	96.5	79.5	93	92	80	95.5	86.5
17	बी॰ ए॰ (ऑनर्स.) भूगोल	96	95	89.5	88	70	94	86
18	बी . कॉम	95	93.75	85.5	80	70	92	85
19	बीएससी (ऑनर्स.) भौतिकी	94	93	84	73	50	93	84
20	बीएससी (ऑनर्स.) रसायन विज्ञान	92.33	91	80	69	50	91.33	82.33
21	बीएससी (ऑनर्स.) वनस्पति विज्ञान	90.33	86	80	73	50	88	80.33

22	बीए प्रोग.							
	पाठ्यक्रम	अनारक्षित (यू आर)	ओबीसी	एससी	एसटी	पीडब्ल्यूडी	ईडब्ल्यूएस	कश्मीरी माइग्रेंट
1	बीए कार्यक्रम (अंग्रेजी + अर्थशास्त्र)	96	93	88	91	60	94	90
2	बीए कार्यक्रम (वाणिज्य + अर्थशास्त्र)	94	90	85	84	60	91	90
3	बीए कार्यक्रम (अर्थशास्त्र + भूगोल)	95	93	91	91	85	95	90
4	बीए कार्यक्रम (अर्थशास्त्र + इतिहास)	96	93	91	91	85	94	90
5	बीए कार्यक्रम (अर्थशास्त्र + गणित)	95	91	88	86	60	92	85

6	B.A Programme (Economics + Philosophy)	95	93	87	88	85	90	85
7	बीए कार्यक्रम (अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान)	96	92	92	91	85	95	90
8	बीए कार्यक्रम (पंजाबी + अर्थशास्त्र)	92	87	84	91	85	88	90
9	बीए कार्यक्रम (उर्दू + अर्थशास्त्र)	86	83	80	91	85	84	76
10	बीए कार्यक्रम (बंगाली + भूगोल)	75	74	72	91	85	95	90
11	बीए प्रोग्राम (हिंदी+भूगोल)	85	90	91	90	85	89	90
12	बीए कार्यक्रम (भूगोल + इतिहास)	96	94	92	91	85	91	90
13	बीए कार्यक्रम (भूगोल + गणित)	96	92	92	91	60	94	85
14	बीए कार्यक्रम (भूगोल + राजनीति विज्ञान)	96	94	92	91	85	95	90
15	बीए कार्यक्रम (संस्कृत + भूगोल)	88	87	83	91	85	87	90
16	बीए कार्यक्रम (बंगाली + इतिहास)	85	79	75	74	60	78	90
17	बीए कार्यक्रम (अंग्रेजी + इतिहास)	95	93.5	76	91	85	91	90
18	बीए प्रोग्राम (हिंदी+इतिहास)	93	91	88	91	85	91	83
19	बीए कार्यक्रम (इतिहास + दर्शनशास्त्र)	95	92.5	88	88	60	91	90

20	बीए कार्यक्रम (इतिहास + राजनीति विज्ञान)	96	94	92	91	85	92	86
21	B.A Programme (Punjabi + History)	86	84	87	82	85	85	76
22	बीए कार्यक्रम (संस्कृत + इतिहास)	88	86	83	82	60	87	90
23	बीए कार्यक्रम (उर्दू + इतिहास)	86	82	80	78	65	82	76
24	बीए कार्यक्रम (बंगाली + राजनीति विज्ञान)	80	78	75	74	60	78	70
25	बीए कार्यक्रम (अंग्रेजी + राजनीति विज्ञान)	96	93	92	89	85	95	86
26	बीए कार्यक्रम (हिंदी + राजनीति विज्ञान)	95	92	91	88	77	93	90
27	बीए कार्यक्रम (दर्शन + राजनीति विज्ञान)	95	93	90	90	85	93	85
28	बीए कार्यक्रम (पंजाबी + राजनीति विज्ञान)	93	91	89	77	77	92	90
29	बीए कार्यक्रम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)	88	86	85	81	85	95	78
30	बीए कार्यक्रम (उर्दू + राजनीति विज्ञान)	90	82	82	79	65	95	90

शुल्क संरचना 2022-23 (सेमेस्टर I और II के लिए परीक्षा शुल्क शामिल)

क्रम संख्या	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	कुल शुल्क (रुपये में) प्रवेश के समय
1.	बी० ए०(ऑनर्स.) अंग्रेजी	14105
2.	बी० ए० (ऑनर्स) हिंदी	14005
3.	बी० ए०(ऑनर्स) पंजाबी	14005
4.	बी० ए०(ऑनर्स.) संस्कृत	14005
5.	बी० ए०(ऑनर्स.) उर्दू	14005
5.	बी० ए० (ऑनर्स.) भगोल	15705
6.	बी० ए० (ऑनर्स.) इतिहास	14005
7.	बी० ए०(ऑनर्स.) राजनीति विज्ञान	14105
8.	बी० ए०(ऑनर्स.) दर्शनशास्त्र	14005
9.	बी० ए० (ऑनर्स.) अर्थशास्त्र	14005
10.	बी० ए० (कार्यक्रम)	13905
11.	बीएससी (ऑनर्स.) कंप्यूटर साइंस	16900
12.	बीएससी (ऑनर्स.) गणित	15560
13.	बीएससी (ऑनर्स.) वनस्पति विज्ञान	17460
14.	बीएससी ((ऑनर्स.) जलॉजी	17260
15.	बीएससी (ऑनर्स.) रसायन विज्ञान	16860
16.	बीएससी (ऑनर्स.) भौतिकी	16960
17.	बीएससी (प्रोग.) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक	16560
18.	बीएससी (कार्यक्रम) कंप्यटर विज्ञान के साथ	15760
19.	बीएससी (प्रोग.) जीवन विज्ञान	16860
20.	बी.कॉम. (ऑनर्स.)	14705
21.	बी.कॉम.	14505
22.	सभी पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी छात्र (तिब्बत को छोड़कर) के लिए शुल्क	Coसामान्यse Fee + 15,000
23.	कोर्स बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस, के लिए विदेशी छात्र के लिए शुल्क (अफगानिस्तान,	1,69,050
24.	पीडब्ल्यूडी छात्र के लिए शुल्क	1070

सूचना विवरणिका

2022 - 2023

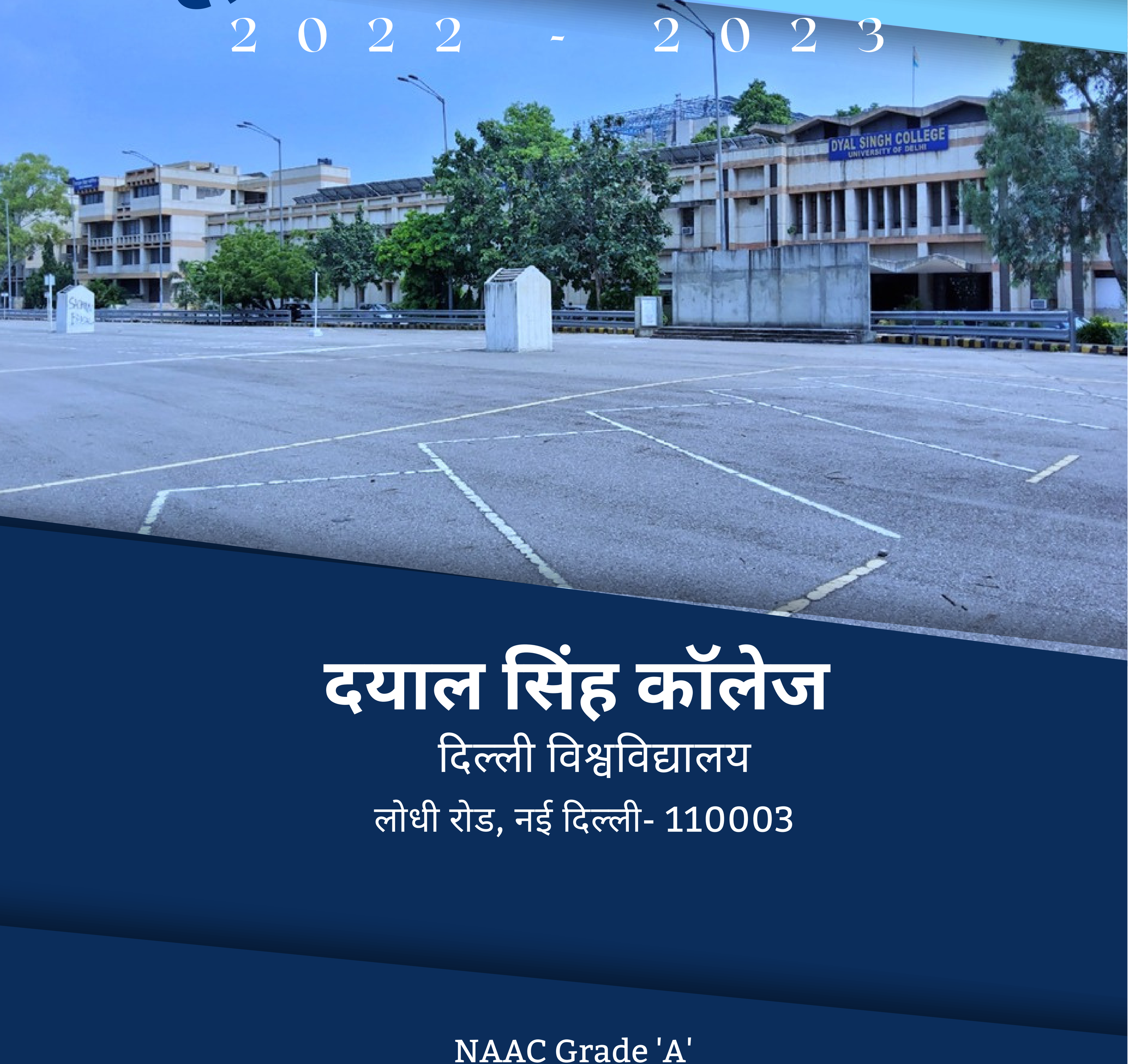

दयाल सिंह कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय

लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

NAAC Grade 'A'

NIRF Rank 35 (वर्ष 2022)